संशोधित प्रति
30 जून, 2002

सर्व शिक्षा अभियान

जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्ययोजना (2002–2007)

जनपद – हाथरस

NIEPA DC
D11485

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11485
Date 09-07-2002.

हाथरस

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–4
2.	शैक्षिक परिदृश्य	5–15
3.	नियोजन प्रक्रिया	16–28
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	29–31
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	32–34
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार– (नवीन विद्यालय)	35–41
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार– (ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0)	42–49
8.	ठहराव में वृद्धि	50–70
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	71–109
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	110–133
11.	परियोजना लागत	134–146

अध्याय–1

जनपद की पृष्ठभूमि

अप्रैल 1997 में जनपद अलीगढ़ के 06 विकास खण्ड हाथरस, मुरसान, सासनी, इगलास, सिकन्द्राराऊ एवं हसायन तथा जनपद मथुरा के विकास खण्ड सादाबाद सहपऊ को पृथक करके 'महामाया नगर' नाम से जनपद का सृजन हुआ। कुछ दिन पश्चात् शासन ने इगलास ब्लाक को पृथक कर पुनः जनपद अलीगढ़ में सम्मिलित कर दिया। बाद में उ0 प्र0 शासन ने जिला मुख्यालय के नाम पर जनपद का नाम परिवर्तित कर हाथरस कर दिया। हाथरस के अन्तिम राजा दयाराम के किले के पीछे एक हाथरसी देवी का मन्दिर है, इसी के नाम पर नगर का नाम हाथरस पड़ना बताया जाता है। जनपद की सीमायें उत्तर में अलीगढ़ पूर्व में एटा दक्षिण में आगरा एवं पश्चिम में मथुरा जनपद से मिली हुयी है। जनगणना 1991 के अनुसार जनपद का क्षेत्रफल 1800.1 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 1129.73 हजार हैं। जिसमें 617.41 हजार पुरुष एवं 12.32 हजार महिलायें हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक हाथरस ब्लाक में 30.5 प्रतिशत तथा सबसे कम सादाबाद ब्लाक में 20.3 प्रतिशत है। यातायात के साधनों के रूप में जनपद से उत्तर रेलवे–उत्तर पूर्व रेलवे तथा दिल्ली आगरा एवं जी. टी. रोड राजमार्ग प्रमुख है। जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ सारणी 01 के अनुसार है।

1.1 भौगोलिक परिदृश्य

हाथरस जनपद गंगा यमुना के दोआब में स्थित होने के कारण धरातल का स्वरुप दोआब प्रदेश के धरातल के ही समान है। ऊष्ण मानसूनी जलवायु होने के कारण यहाँ ग्रीष्म, वर्षाकाल के अलावा शीतऋतु में भी वर्षा हो जाती है। जनपद में कृषि योग्य भूमि 81.5 प्रतिशत तथा सिंचित क्षेत्र शत प्रतिशत है। सामान्यतः दोमट बलुई उपजाऊ भूमि है तथा खरीफ रवी एवं जायद तीनों फसलें उगाई जाती हैं किन्तु मुख्य फसलें रवी एवं खरीफ ही है। हसायन, सिकन्दराराऊ एवं सासनी विकास खण्ड के कुछ भागों में 4.83 प्रतिशत ऊसर भूमि भी है। ऊसर भूमि सुधार के प्रयासों के अन्तर्गत भी आशातीत सफलता प्राप्त हुयी है। जनपद के सासनी क्षेत्र में आम, अमरूद बेर तथा ब्लाक हाथरस में सब्जियों का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। हसायन बरवाना क्षेत्रों में गुलाब की खेती भी की जाती है।

1.2 आर्थिक परिदृश्य

उद्योग की दृष्टि से जनपद उन्नत है। हसायन क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त गुलाब जल, खस एवं इत्र का उत्पादन होता है। गलीचा, दरी, कालीन आसन बनाने का कार्य भी उच्च स्तर का है। नगर में हींग की प्रसिद्ध मण्डी है। यहाँ से राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि प्रदेशों को हींग भेजी जाती है। चाकू एवं कैंची बनाने के कार्य में भी जनपद का अच्छा स्थान है। वर्तमान में जनपद में नील, गुलाल, एवं रंग बनाने का कार्य उच्च स्तर का हो रहा है।

नगर का अतीत अत्यन्त गौरव पूर्ण रहा है। प्राचीन काल में सूत के धागे बनाने के कारखाने, दाल के कारखाने कपास की गांठ बनाने के कारखानों से नगर का व्यापार पूरे भारत में फैला हुआ था। साहित्य कला एवं संगीत के क्षेत्र में जनपद का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हास्य कवि काका हाथरसी लोक साहित्य स्वांग मण्डली के अभिनयकर्ता पं. नथाराम गौड़ के नाम इन क्षेत्रों में एक कीर्तिमान रहे हैं।

1.3 साक्षरता

यहाँ की साक्षरता का प्रतिशत जनगणना 1991 के अनुसार 46.4 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता 62.3 प्रतिशत तथा महिलाओं की 26.8 प्रतिशत है। जनपद के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ पूर्व में संचालित वी.ई.पी./डी.पी.ई.पी. योजनाओं से आच्छादित न होने के कारण इन विकास खण्डों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधायें अपेक्षाकृत कम हैं। शैक्षिक परिदृश्य सम्बन्धी सूचना एवं विस्तृत विवरण अगले अध्याय में दिया जा रहा है।

1.4 प्रशासनिक ढाचा

जनपद हाथरस 4 तहसील व 7 विकास खण्डों में बंटा हुआ है। जनपद में 2 नगर पालिकायें, 7 टाउन एरिया, 64 न्याय पंचायत तथा कुल 673 राजस्व ग्राम है। जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ सारणी 1.1 में उल्लखित हैं।

सारणी 1.1

जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ

तहसील	4
विकास खण्ड	7
न्याय पंचायत	64
ग्राम सभायें	430
राजस्व ग्राम	आवाद 657 गैर आवाद 16 योग 673
वस्तियों की संख्या	1150
नगरीय क्षेत्र	–
नगर निगम	–
नगर महापालिका	–
नगर पालिका	2
टाउन एरिया	7
वार्ड	128

1.5 जनांकिकीय विवरण

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर हाथरस जनपद की कुल जनसंख्या 11.29 लाख है जिसमें 6.17 लाख पुरुष तथा 5.12 लाख महिलाएँ हैं।

जनगणना के आधार पर कुल जनसंख्या का 25.6 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। नगरीय क्षेत्र के आधार पर कुल जनसंख्या के 19.4 प्रतिशत व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं।

जनगणना के आधार पर जनपद की ग्रामीण जनसंख्या की गत 10 वर्षों की वृद्धि दर 20.82 प्रतिशत थी जो विकास क्षेत्रों के अनुसार सासनी विकास खण्ड की वृद्धि दर सबसे अधिक 24.13 प्रतिशत तथा सहपऊ विकास खण्ड की वृद्धि दर सबसे कम 17.89 प्रतिशत थी।

जनपद का लिंग अनुपात 830 महिलायें प्रति हजार पुरुष तथा जनसंख्या घनत्व 628 प्रति वर्ग किमी है। जनपद की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार तथा 2001 की अनुमानित जनसंख्या विकास खण्डवार व नगर पंचायत/नगर क्षेत्रवार तालिका संख्या 1.2 में अंकित है।

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1333372 है। जिसमें से पुरूष 718288 तथा महिलाओं की संख्या 615084 है। जनपद में 0–6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या 245107 है। जो कुल जनसंख्या का 18.4 प्रतिशत है। जनपद की वार्षिक वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत है।

सारणी 1.2

विकास खण्ड वार / नगर क्षेत्र वार जनसंख्या

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	जनगणना 1991						2001 अनुमानित					
		कुल जनसंख्या			अनु0जा0की जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0जा0की जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	सासनी	84789	70850	155639	25553	21052	44606	103442	86437	189879	31174	25684	56858
2	हाथरस	71731	58992	130723	21943	17887	39830	87511	71520	159081	26570	21422	47992
3	मुरसान	74601	60680	135281	22422	18064	40486	91013	74029	165042	26954	21638	48592
4	सि0 राऊ	62437	52284	114721	13849	11619	25468	76163	63786	139949	17495	14175	31670
5	हसायन	66192	54634	120826	18590	15311	33901	80754	67253	148007	22679	18679	41358
6	सादाबाद	89430	72835	166265	18177	14774	32951	109104	88858	197962	21715	18024	39799
7	सहपऊ	50737	40854	91591	12921	10162	23083	61899	49441	111340	15573	12397	27970
	योग	499917	411129	915046	133455	108869	240325	609886	501324	1111260	162160	132019	294239
क्र.सं.	नगर क्षेत्र का नाम												
1	सि0 राऊ नं0 पा0 पंचायत	15315	14008	29823	3128	2791	5919	18684	17684	36373	3936	3285	7221
2	सादाबाद नगर पंचायत	12142	10205	22347	2068	1716	3784	14813	12450	27263	2514	2102	4616
3	सासनी नं0 पं0	6083	5411	11494	1348	1120	2468	7421	6601	14022	1644	1367	3011
4	पुरदिलपुर नं0 पं0	5546	4759	10305	917	761	1678	6766	5803	12569	1116	931	2047
5	गुरसान नं0 पं0	5187	4489	9676	1066	888	1954	6328	5477	11805	1302	1082	2384
6	मैंडू नगर पं0	5450	4648	10098	2196	1830	4026	6649	5620	12319	2844	2067	4911
7	सहपऊ न0 पं0	3960	3181	7145	942	785	1727	4831	3880	8711	1146	961	2107
8	हसायन नं0 पं0	2440	2074	4514	444	368	812	2976	2530	1506	540	450	990
9	हाथरस नं0 पा0	60871	52414	113285	13332	11115	24447	74287	63945	138207	16266	12559	29825
	योग	116994	101189	218687	25441	21374	46815	142755	123990	262775	31308	24804	57112
ग्रामीण + नगरीय		612411	512318	1129729	158896	130244	289140	752616	625419	1378035	193528	157823	351351

श्रोत - जनगणना 1991

नोट - जनगणना 2001 की क्षेत्र वार जनसंख्या अभी उपलब्ध नहीं है

अध्याय 2

शैक्षिक परिदृश्य

हाथरस जनपद में वर्ष 1993–94 से वर्ष 1999–2000 तक बेसिक शिक्षा परियोजना क्रियान्वित रही है जिसके अन्तर्गत बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गयी तथा समय–समय पर इनके माध्यम से अध्यापकों के प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं। साथ ही विद्यालयों के साज–सज्जा एवं रख–रखाव हेतु धन तथा अध्यापकों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है। तथा ठहराव व गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। जनपद का शैक्षिक परिदृश्य निम्न प्रकार है।

2.1 साक्षरता दर

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 46.4 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 62.3 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 26.8 प्रतिशत है जो अपेक्षाकृत काफी कम है। जनपद के साक्षरता सम्बन्धी आंकड़े सारणी 2.1 में दिये गये है।

सारणी 2.1

साक्षरता दर

	जनपद की साक्षरता दर 1991	राज्य की साक्षरता दर 1991
कुल साक्षरता	46.4	41.6
ग्रामीण साक्षरता	44.4	36.66
नगरीय साक्षरता	54.6	61.03
कुल पुरुष साक्षरता	62.3	55.73
कुल महिला साक्षरता	26.8	25.31
अनु0 जा0 साक्षरता दर 1991		
ग्रामीण पुरुष साक्षरता	61.8	52.05
ग्रामीण महिला साक्षरता	22.8	19.02
नगरीय पुरुष साक्षरता	64.6	69.68
नगरीय महिला साक्षरता	42.9	50.38

श्रोत जनगणना 1991

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 63.38 प्रतिशत हो गई है। पुरुष साक्षरता 77.17 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 47.16 प्रतिशत है विगत दशक में साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है।

2.2 विकास खण्डवार साक्षरता

जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में साक्षरता दर में काफी विषमतायें है।

विकास खण्डों की दृष्टि से सबसे अधिक साक्षरता दर विकास खण्ड हाथरस की 48.6 प्रतिशत तथा सबसे कम साक्षरता दर विकास खण्ड सिकन्दराराऊ की 38.2 प्रतिशत है। विकास खण्डवार साक्षरता दर सारणी 2.2 के अनुसार है।

सारणी 2.3

विकास खण्डवार साक्षरता

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत)		
		पुरुष	महिला	योग
1	हाथरस	64.7	28.8	46.6
2	मुरसान	61.7	21.1	43.7
3	सासनी	61.5	26.9	46.00
4	सि0 राऊ	54.5	18.6	38.2
5	हसायन	56.3	20.8	40.4
6	सादाबाद	68.7	20.9	47.6
7	सहपऊ	62.5	20.6	44.1
	नगर क्षेत्र	64.6	42.9	54.6
	योग जनपद	62.3	26.8	46.4

श्रोत जनगणना वर्ष 1991

विकास खण्डों की दृष्टि से सबसे अधिक साक्षरता दर विकास खण्ड हाथरस की 46.6 प्रतिशत तथा सबसे कम साक्षरता दर विकास खण्ड सिकन्दराराऊ की 38.2 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से भी विकास खण्ड सिकन्दराराऊ की महिला साक्षरता दर सबसे कम 18.6 है तथा सबसे अधिक महिला साक्षरता दर विकास खण्ड हाथरस की 28.8 प्रतिशत है जबकि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषो और महिलाओं के साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पायी गयी एवं उ0प्र0 में पुरुषों की साक्षरता 55.73 तथा महिला साक्षरता 25.31 प्रतिशत रही है। अतः जनपद की महिला साक्षरता दर उ0 प्र0 की महिला साक्षरता दर से अधिक तथा राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है।

जनगणना वर्ष 2001 की विकास खण्ड वार/नगर क्षेत्र वार साक्षरता दर उपलब्ध नही है। अतः 1991 की साक्षरता दर अंकित की गई है।

2.3 शैक्षिक संस्थायें

जनपद में विगत वर्षों में अनेक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गयी है। वर्तमान में जनपद में स्थित शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारिणी संख्या 2.3 के अनुसार है।

सारणी 2.3

शैक्षिक संस्थाऐं

		परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्राथमिक विद्यालय	674	57	731	203	130	333	877	187	1064	64	34	98
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	1	1	5	9	14	5	10	15	–	–	–
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	145	7	152	73	31	104	218	38	256	3	7	10
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	–	1	1	18	23	41	18	24	42	–	–	–
5	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	नवोदय विद्यालय	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–
7	हाईस्कूल	–	–		9	9	18	9	9	18	–	–	–
8	इण्टरमीडिएट	–	1	1	30	28	58	30	29	59	–	–	–
9	डिग्री कालेज	0	1	1	4	1	5	4	2	6	–	–	–
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	–	–	–	3	3	–	3	3	–	–	–
11	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	तकनीकि संस्थान	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–	–	–
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाए	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–
14	आगन बाडी केन्द्रो की संख्या	608	–	608	–	–	–	608	–	608	–	–	–
15	मकतब / मदरसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	संस्कृत पाठशालाए	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	विकलांगो के लिए	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

श्रोत – विभागीय आकड़े

उपरोक्त सारणी के अनुसार जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 731 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 152 है अतः प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 4.8 : 1 है जबकि राष्ट्रीय मानके के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयो का अनुपात 2 : 1 होना चाहिए। जनपद में कोई भी शासकीय तकनीकि संस्थान, कम्पयूटर शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान एवं विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं है।

2.4 शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 2351 पद सृजित हैं जिनमें कुल 2115 अध्यापक कार्यरत हैं तथा 236 स्थान रिक्त हैं इनके अतिरिक्त बी ई पी योजना अन्तर्गत 112 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत हैं। इसी प्रकार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के कुल 730 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 653 कार्यरत हैं तथा 77 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की उपलब्धता का श्रेणीवार विवरण सारिणी संख्या 2.4 के अनुसार है।

सारणी 2.4

शिक्षकों की उपलब्धता (परीषदीय विद्यालय) (दिनांक 21.12.2000 की स्थिति)

	सृजित			कार्यरत			रिक्त			स्वीकृत शिक्षामित्रों की सं0
	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	प्र0 अ0	स0अ ध	योग	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय										
ग्रामीण –	656	1496	2152	593	1434	2027	63	62	125	112
नगरीय	42	157	199	31	57	88	11	100	111	–
योग	698	1653	2351	624	1491	2115	74	162	236	112
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय										
ग्रामीण	145	580	725	74	575	649	71	5	76	–
नगरीय	1	4	5	1	3	4	–	1	1	–
योग	146	584	730	75	578	653	71	6	77	–

श्रोत – विभागीय ऑकडे

2.5 परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में 300 से अधिक आबादी वाले 560 ग्राम व 297 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनमें 1 किमी से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। 300 से अधिक आबादी वाले

35 ग्राम तथा 75 बस्तियॉ ऐसी हैं जिनसे निकटतन प्राथमिक विद्यालय 1 किमी से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर उपलब्ध है। 300 से अधिक आबादी वाले 44 ग्राम तथा 80 बस्तियॉ ऐसी है जिनके लिए 1.5 किमी की दूरी तक कोई प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

इसी प्रकार जनपद मे 800 आबादी से अधिक वाले 341 ग्राम तथा 199 बस्तियॉ ऐसी है जिनसे निकटतम उच्च प्रा0 वि0 3 किमी से कम दूरी पर उपलब्ध है। 800 आबादी से अधिक वाले 43 ग्राम तथा 10 बस्तियॉ ऐसी हैं जिनके लिए 3 किमी की दूरी तक कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय की कोई व्यवस्था नही है। यदि जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय के मध्य 1 : 2 का अनुपात स्थापित किया जाये तो 214 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

जनपद में दो विकास खण्ड सादाबाद तथा सहपऊ ऐसे है जो जनपद गठन के समय वर्ष 1997 में मथुरा से प्रथक होकर इस जनपद में सम्मिलित हुए हैं। इस कारण से बी ई पी अथवा डी पी ई पी किसी भी प्रोजेक्ट द्वारा आच्छादित नहीं हुए हैं फलस्वरूप इन दो ब्लाकों में काफी संख्या में असेवित ग्राम/बस्तियॉ रह गयी हैं शेष पॉच विकास क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ ग्रामो तथा नजरे प्राथमिक एवं उच्च प्रा0 विद्यालयों की असेवित सूची में आ जाने के कारण असेवित क्षेत्रों की संख्या निकल कर आयी है।

सेवित एवम् असेवित क्षेत्रों की संख्या का विवरण तालिका 2.5 के अनुसार है।

सारणी 2.5

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे ग्रामो की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	560	35	44
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	297	75	80
योग	857	110	124

परिषदीय अथवामान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय व मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
ऐसे ग्रामो की संख्या जिसकी आबादी 800 से अधिक है	341	43	214
ऐसी बस्तियो की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	199	10	
योग	540	53	214

श्रोत – विभागीय आंकडे

2.7 परिषदीय विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (1.1.2001 की स्थिति)

जनपद में कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 731 तथा कुल परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 151 संचालित है। इन विद्यालयों मे से बहुत से विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी है परन्तु अभी अनेक विद्यालय जर्जर, एक कक्षीय, शौचालय विहीन तथा चाहरदीवारी विहीन है। जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों की स्थिति सारणी संख्या 2.7 के अनुसार है –

सारणी 2.7

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय 1.1.2001 की स्थिति)

प्राथमिक स्तर

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	भवनयुक्त विद्यालय	1कक्षीय विद्यालय			2कक्षीय विद्यालय			3कक्षीय विद्यालय			4कक्षीय विद्यालय			पांच कक्षीय विद्यालय			पांच से अधिक कक्षा वाले विद्यालय		
			ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग
1	हाथरस	90	–	–	–	13	–	13	58	–	58	16	1	17	2	–	2	–	–	–
2	मुरसान	96	–	–	–	18	–	18	62	1	63	9	–	9	5	–	5	–	–	1
3	सासनी	101	1	–	1	17	1	18	83	1	84	12	1	13	4	–	4	1	–	–
4	सिन्दराराऊ	85	–	–	–	34	–	34	47	–	47	4	–	4	–	–	–	–	–	–
5	हसायन	96	2	–	2	29	1	30	57	1	58	4	2	6	–	–	–	–	–	–
6	सादाबाद	113	14	–	14	84	2	86	9	–	9	3	–	3	–	1	1	–	–	–
7	सहपऊ	75	22	–	22	42	–	42	7	–	7	3	1	4	–	–	–	–	–	–
8	नगर क्षेत्र हाथरस	3	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–		–	–	–	–	–	–
9	नगर क्षेत्र सि0 राऊ	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	1
	योग	663	39	–	39	237	5	242	303	6	309	51	7	58	11	1	12	1	2	3

मरम्मत योग्य विद्यालय 156	लघु मरम्मत योग	104	वृहत मरम्मत योग	52	शौचालय की आवश्यकता	249
शौचालय	शौचालय युक्त विद्यालय	447	शौचालय विहीन विद्यालय	249	हैण्डपम्प की आवश्यकता	–
हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त	681	हैण्डपम्प विहीन	15	चाहरदीवारी की आवश्यकता	471
चहारदीवारी	चाहरदीवारी युक्त	225	चाहरदीवारी विहीन	471		

श्रोत – विभागीय आंकड़े

उच्च प्राथमिक स्तर

क्रसं.	विकास खण्ड का नाम	कुल विद्यालय संख्या	भवनयुक्त विद्यालय	भवनहीन विद्यालय	जर्जर पुर्ननिर्माण	एककक्षीय विद्यालय संख्या	दो कक्षीय विद्यालय संख्या	तीनकक्षीय विद्यालय संख्या	चारकक्षीय विद्यालय संख्या	पांचकक्षीय विद्यालय संख्या	पांच से अधिक कक्षीय विद्यालय
1	हाथरस	23	20	1	2	–	–	20	–	–	–
2	मुरसान	21	21	–	–	–	1	5	15	–	–
3	सासनी	29	29	–	–	–	4	19	5	–	1
4	सिकन्दराराऊ	22	18	–	4	–	–	14	3	–	1
5	हसायन	26	26	–	–	–	–	3	22	–	1
6	सादाबाद	18	16	–	2	–	2	6	6	2	–
7	सहपऊ	11	11	–	–	–	3	1	6	1	–
8	नगर क्षेत्र हाथ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	नगर क्षेत्र सिक	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	योग	151	141	2	8	–	10	68	57	3	3

मरम्मत योग्य विद्यालय 50	लघु मरम्मत योग	19	वृहत मरम्मत योग	19	
शौचालय	शौचालय युक्त विद्यालय	97	शौचालय विहीन विद्यालय	53	शौचालय की आवश्यकता 53
हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त	144	हैण्डपम्प विहीन	6	हैण्डपम्प की आवश्यकता 0.0
चहारदीवारी	चहारदीवारी युक्त	47	चहारदीवारी विहीन	103	चहारदीवारी की आवश्यकता 103

स्रोत – विभागीय आकड़े

2.8 वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

जनपद के दो विकास खण्ड–सादाबाद तथा सहपऊ, किसी भी परियोजना से आच्छादित न होने के कारण अभी प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु असेवित क्षेत्रों की संख्या अधिक है। इनमें विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जनपद के जर्जर/ध्वस्त विद्यालयों के पुर्ननिर्माण, छात्र नामांकन के अनुपात में कक्षा कक्षों की कमी वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय विहीन विद्यालयों में शौचालय तथा चाहरदीवारी विहीन विद्यालयों में चाहरदीवारी की आवश्यकता है। वर्तमान में जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता सारणी संख्या – 2.8 के अनुसार है।

सारणी 2.8

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्रम संख्या	आइटम/ सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथनिक		
		कमी असेवित क्षेत्र	डीपीईपी–11/11वें वित्त आयोग प्राविधान/जिला योजना या अन्य स्रोत	मांग	कमी	डीपीईपी–11/11 वें वित्त आयोग प्राविधान	मांग
1	नवीन विद्यालय	124	–	124	53	–	53
2	विद्यालय पुनर्निर्माण	38	1	37	7	–	7
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रतिशिक्षक/प्रतिकक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्वि के आधार पर)	388	–	388	118	–	118
4	पेयजल सुविधा	15	15	–	6	6	–
5	शौचालय	249	–	249	53	–	53
6	चाहरदीवारी	471	–	471	103	–	103

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षो के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद हाथरस में 01 विद्यालय भवन, 01 शौचालय, 01 हैण्ड पम्प तथा 01 चहार दीवारी का निर्माण कराया गया।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स

जनपद – (हाथरस + अलीगढ़)

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य रहती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया है तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की गयी है। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1998–99	1999–2000	2000–2001
कक्षा 1	65896	56156	96251
कक्षा 2	60325	54014	84805
कक्षा 3	51354	53797	72825
कक्षा 4	45511	52648	61036
कक्षा 5	42241	50330	49159
योग	265327	266345	364076

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

जी0ई0आर0			
कुल	92	94	100
बालिका	81	84	92

स्रोत : सीमेट की सैम्पुल स्टडी ।

एन0ई0आर0			
कुल	75.7	78.3	82.8

स्रोत : सीमेट की सैम्पुल स्टडी

जनपद के नामांकन में औसतन 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है. जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0 / एन0ई0आर0 बालिकाओं के

जी0ई0आर0 / एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है। डी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	610	731	19.8
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	1809	2351	30

स्रोत : विभागीय आंकड़े। – जनपद हाथरस हेतु

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 3 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	बालक	बालिका	योग
1998	44.8	46.4	45.4
1999	35	34.5	34.8

स्रोत : सीमेट द्वारा सैम्पुल स्टडी वर्ष 1999

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत 2 वर्ष में ड्राप आउट दर 45 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	4.82	-
1999	6.44	-

स्रोत : सीमेट द्वारा सैम्पुल स्टडी वर्ष 1999

रिपीटीशन दर मात्र 6.44 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.74 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01	–	1 : 55
एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01	–	5.6 %

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:55 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

(स्रोत : विभागीय आंकड़े)

जनपद– हाथरस

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	15085	13729	12329	41143	-
1999-2000	15417	14031	12600	42048	2.2
2000-2001	15756	14340	12877	42973	2.2

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर मांग पैदा हुयी है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	19059	7954	-
1999-2000	19500	8140	42.7
2000-2001	19939	8316	42.6

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण लगभग आधे से अधिक बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	104	152	46
उच्च प्राथमिक शिक्षक	490	730	49

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	1230	287	13	300	4 :1
नगर क्षेत्र	120	03	07	10	12 :1
योग	1350	290	20	310	4.3 : 1

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1 : 4.3 है।

अध्याय 3

नियोजन प्रक्रिया

स्कूल चलो अभियान –

जनपद में 1 जुलाई 2000 से 15 जुलाई 2000 तक स्कूल चलों अभियान का प्रथम चरण तथा 16 जुलाई 2000 से 25 जुलाई 2000 तक द्वितीय चरण सघन रूप से चलाया गया। इसके अन्तर्गत यह प्रयास किया गया कि प्राथमिक (6–11 वर्ष) एवं उच्च प्राथनिक स्तर (11–14 वर्ष) के सभी बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेंगे। प्रत्येक विद्यालय में बाल गणना पंजिकाएं तैयार की गयीं तथा ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर, तथा जनपद स्तर पर गोष्ठियां की गयीं और बच्चों की प्रभात फेरियां निकाल कर शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गयी। जिसके कारण शिक्षा के प्रति लोगों में रूचि जाग्रत हुई तथा नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई। इस स्कूल चलों अभियान का लाभ सर्व शिक्षा अभियान की सहभागिता में मिला है। इस अभियान का विस्तृत विवरण निम्न प्रस्तरों में दिया गया है –

स्कूल चलों अभियान के अन्तर्गत निम्नांकित तिथियों में ब्लाकवार गोष्ठियाँ/रैलियों का आयोजन किया गया जो निम्नवत है। इन गोष्ठियों/रैलियों में सम्माननीय जन प्रतिनिधियों/मान0 विधायकों/सांसदों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रथम चरण

क्रमांक	क्षेत्र	तिथियाँ
1.	जनपद मुख्यालय	6 जुलाई 2000
2.	हाथरस	7, 9 जुलाई 2000
3.	सासनी	7,9, तथा 12 जुलाई 2000
4.	मुरसान	7,9, तथा 12 जुलाई 2000
5.	सिकन्दरा राऊ	7,9, तथा 12 जुलाई 2000
6.	हसायन	7,9 जुलाई 2000
7.	सादाबाद	7,9 जुलाई 2000
8.	सहपऊ	7,9, तथा 21 जुलाई 2000
9.	नगर क्षेत्र हाथरस	6,7,8,9 जुलाई 2000
10.	नगर क्षेत्र सिकन्दरा राऊ	6,7,8,9 जुलाई 2000
11.	विद्यालयों स्तर पर	6,7,8,9 जुलाई 2000

द्वितीय चरण

दि० 10.7.2000 से 15.7.2000 तक छात्र नामांकन, जनसम्पर्क, अभिभावक सम्पर्क, स्कूल न जाने वाले बच्चों की समीक्षा तथा दिनांक 16.7.2000 से 25.7.2000 तक पुनः छात्र नामांकन हेतु अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिले की सभी 430 ग्राम सभाओं को आच्छादित किया गया।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत माननीय जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपना समय समय पर योगदान दिया।

प्रभारी मंत्री द्वारा किये गये कार्यक्रम

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत जनपदीय प्रभारी मंत्री माननीय श्री मण्डलेश्वर सिंह जी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास मंत्री, उ० प्र० शासन के कर कमलों द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2000 से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण विकास क्षेत्र मुरसान से शुभारम्भ किया गया, जिसमें माननीय विधायक/सांसदों एवं सम्मानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें लाभार्थी छात्र/छात्राओं में वितरित करायी गयी।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत

नामांकन का लक्ष्य

वर्ग	बालक	बालिका	योग
6-11	11570	11141	22711
11-14	3381	3816	7197
योग	**14951**	**14957**	29908

नामांकित बच्चे

वर्ग	बालक	बालिका	योग
6-11	11523	10929	22452
11-14	3214	3499	6713
योग	**14737**	**14423**	29165

स्कूल चलो अभियान में स्कूल न जाने वाले अवशेष चिन्हित बच्चों का विवरण निम्नवत् है।

वर्ग	बालक	बालिका	योग
6-11	47	212	259
11-14	167	317	484
योग	214	529	743

नामांकन हेतु उपरोक्त अवशेष चिन्हित बच्चों का विद्यालयों में ब्लाकवार नामांकन हेतु पुनः अभियान चलाया गया तथा सभी बच्चों को विद्यालयों में नामांकित कराया गया।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत मुख्य बल ठहराव में वृद्धि लाने, विशेषकर बालिकाओं के ठहराव पर दिया जाता है और तदनुसार अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाता है, जिसके लिए सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। आगे भी स्कूल चलो अभियान में मुख्य बल नामांकन की अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा। ताकि नामांकित बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त ही विद्यालय छोड़ें।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकडों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई

- ग्राम में 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव है?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते है?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक– युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गावं स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/ बस्तीवार आंकडों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता –पिता की सहायता करते है अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ो/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ो का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रो न परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजैक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षो का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

जनपद के पर्सपेक्टिव प्लान में एवं वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने हेतु सर्वप्रथम दिनांक 3.2.2001 को समस्त ग्राम प्रधानों एवं ग्राम से प्रवुद्व लोगों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों से परिचय करानें, बालगणना कर स्कूल न जाने वाले वच्चों को चिन्हीकरण करने, आपसी विचार विमर्श कर ग्राम के विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने, सभी वच्चों को स्कूल में नामांकन कराने हेतु ग्राम योजना तैयार करने तथा विद्यालय हेतु कुछ न कुछ अंशदान हेतु प्रेरित करने के लिए पत्र लिखा गया। तदुपरान्त दिनांक 5.2.2001 को समस्त ABSA/SDI, व्लाक समन्वयको, न्याय पंचायत समन्वयकों की एक कार्यशाला का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। कार्याशाल में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रतिभागियों को सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं विशेषताओं से परिचय कराते हुए ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयक एवं व्लाक समन्वयक Focus Group Discusion किस तरह करेंगें इसका अभ्यास कराया गया। इसके बाद ग्राम स्तर पर होने वाली योजना निर्माण समिति की बैठक में ग्राम वासियों की सहायता के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत समन्वयक ने अपने न्याय पंचायत में पड़ने वाले गाँवों की बैठकों में प्रतिभाग किया और ग्राम योजना निर्माण कराकर न्याय पंचायत स्तर पर संकलन किया गया। न्याय पंचायत से व्लाक स्तर पर संकलन कर जिले स्तर पर संकलन कर प्लान तैयार किया गया। इसके बाद दिनांक 24.2.2001 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समस्त सांसदों विधायकों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी और प्राप्त सुझावों को प्लान में समाहित किया गया। दिनांक 2.3.2001 को जिले स्तर पर पुनः एक योजना निर्माण की कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा दिनांक 3.3.2001 को सादावाद तहसील पर तथा 4.3.2001 को सिकन्दराराऊ तहसील पर समस्त ग्राम प्रधानों व्लाक प्रमुखों तथा गणमान्य व्यक्तियों की कार्यशाला कर महत्वपूर्ण सुझावों को अभिलेखीकरण किया गया। विभिन्न वैठकों में विचार विमर्श के फलस्वरूप जनपद के सादावाद सहपऊ ब्लाकों में काफी संख्या में असंवित वस्तियों की समस्या, जर्जर विद्यालयों का पुर्ननिर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, शौचालय, चाहरदीवारी ECCE केन्द्रों तथा छात्र अनुपात में अध्यापकों की माँग मुख्य रूप से उभर कर आयी है जनपद की कुछ प्रमुख वैठकों का संक्षिप्त विवरण सारणी में दिया जा रहा है।

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्रमांक	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक, विचार विमर्श में जो विन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	30,31 जनवरी 1 फरवरी 2001	सीमेट इलाहाबाद	1. प्राचार्य 2. जि.वे.शि.अ. 3. उप वे.शि.अ. 4. स.वे.शि.अ. 5. प्रवक्ता डायट	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, उद्देश्य कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा नियोजन प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षा के सार्वजनीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को दृष्टिगत

	2001		4. स.वे.शि.अ. 5. प्रवक्ता डायट 6. परि. अधि. अ. शि. (6)	आयोजन किया गया जिसमें शिक्षा के सार्वजनीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए जनपद का प्लान समयान्तर्गत प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया।
2	5–2001	डायट हाथरस	1. प्राचार्य 2. जि.वे.शि.अ. 3. उप वे.शि.अ. 4. स.वे.शि.अ. 5. प्रति उ0 वि0 नि0 6. समस्त बी. आर. सी. समन्वयक 7. समस्त एन. पी. आर. सी. समन्वयक 8. ब्लाक के प्र0 अ0 9. समस्त उ. के. अ. 10. स्वयं सेवी संगठन / युवक मंगलदल (45)	सीनेट इलाहाबाद में प्राप्त प्रशिक्षण एवं प्रदत्त साहित्य के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की संकल्पना एवं उद्देश्यों पर प्राचार्य डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विस्तार से प्रकाश डाला गया। विचार विमर्श के पश्चात् यह विन्दु उभरकर आया कि कार्यक्रम की नियोजन प्रक्रिया ग्राम बस्ती स्तर से प्रारंभ की जाये तथा क्षेत्र विशेष की भौतिक समस्याओं, आवश्यकताओं की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर बैठके आयोजित की जायें तथा बैठकों में प्राप्त सुझावों के अनुसार कार्यक्रम गतिविधियाँ नियोजन में रक्खी जायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सर्व शिक्षा अभियान की रुपरेखा, उद्देश्य नियोजन प्रक्रिया में अपनी सक्रिय सहभागिता एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु एवं समस्त ग्राम प्रधानों तथा ग्रामीण जनों की सहभागिता प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम बनाया गया।
3.	6.2.2001	संकल मीतई संकुल अर्जुनपुर उच्च प्रा. वि. कथरिया	स. वे. शि. अ. मुरसान व. प्र.उ.वि. नि. मुरसान समन्वयक वी. आर. सी., ग्राम प्रधान, वी. डी.सी. सदस्य, प्रधान अध्यापक एवं अभिभावक (30)	इन बैठकों में अध्यापकों का स्कूलों में अभाव, अध्यापकों का शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं में लगाया जाना, विद्यालयों में टाटपट्टी, शिक्षण सामग्री, कुर्सी मेज का अभाव, विद्यालयों की साजसज्जा आकर्षक न होना आदि समस्यायें बतायी गयीं। महमूदपुर ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव आया कि जो बच्चे मध्यसत्र में रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, उन बच्चों की शिक्षा के लिए व जितने समय वहाँ रहते हैं, उतने ही समय के लिए वहाँ उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। महमूदपुर जाटान व नगला बिहारी की अनु0 जाति की लड़कियाँ घरेलू कार्यों में मातापिता की सहायता में लगे रहने तथा

				उनके साथ मजदूरी पर चले जाने के कारण विद्यालय में नही पहुँच पाती हैं। इनके लिए विद्यालय समय से भिन्न उनकी सुविधा के समयानुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाये। संकुल मीतई की बैठक में अभिभावकों द्वारा बताया गया कि पू0 मा0 वि0 मीतई में बालिकाओं के लिए कार्यानुभव कार्यक्रम चलाया गया था जिससे अभिभावकों ने प्रभावित होकर बालिकाओं को विद्यालय भेजने तथा नियमित उपस्थित रहने में विशेष रूचि दिखाई, इसी प्रकार का कोई जीवनपयोगी व्यावसायिक कार्य बालकों के लिए भी चलाया जाये जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, साबुन–निरमा बनाना, टाटपट्टी, फर्श गलीचा बनाना आदि।
4.	7.2.2001	पू0 मा0 वि0 सादाबाद	1. स.वे.शि.अ. सादाबाद 2. ज्येष्ठ उप प्रमुख 3. सभासद सादाबाद 4. ग्राम प्रधान 5. उपकेन्द्र अध्यापक 6. प्रधान अध्यापक 7. अभिभावक 45	इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विकासखण्ड सादाबाद के पूर्व से संचालित बी0 ई0 पी0, डी0 पी0 ई0 पी परियोजनाओं से आच्छादित न होने के कारण अभी अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा इस विकास खण्ड में ऐसे अनेक ग्राम वस्तियाँ है जहाँ प्राथमिक/उच्च प्राथनिक विद्यालय खोले जाने की अनुभूत आवश्यकता है ऐसे ग्राम/मजरों की सूचियाँ भी दी गई।
5	7.2.2001	पू. मा. वि. सहपऊ	1. स. बे. शि. अ. सहपऊ 2. प्र. अ. पू.मा. वि0 सहपऊ 3. समस्त उपकेन्द्र अध्याय 4. ग्राम प्रधान (76)	1. क्षेत्र में प्रथक से बालिका उच्च प्रा. वि. खोलने तथा जलेसर रोड पर ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्र खोलने की मांग की गयी। 2. ग्राम प्रधानों ने शिक्षा की गुणवत्ता एवं बच्चों के उचच सम्प्राप्ति स्तर पर बल दिया। 3. 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए स्कूल पूर्व व्यवस्था हेतु भी सुझाव आदे।
6.	8.2.2001	बी. आर. सी. सि0 राऊ	1. स. वे. शि. अ. 2. समन्वयक बी. आर. सी. 3. समन्वयक एन. पी.	ईट भट्टों पर रहकर मजदूरी करने वाले परिवारों के शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने की मांग की गई। आलू की खेती वाले क्षेत्रों में गरीब परिवारों के बहुत से बच्चे आलू

			आर. सी. 4. ग्राम प्रधान (29)	बीनने के कार्य में लग जाते हैं, इनके लिए यह प्रस्ताव आया कि इनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
7.	9.2.2001	वी. आर. सी. हसायन	1. स. वे. शि. अ. 2. समन्वयक वी. आर. सी. 3. समन्वयक एन. पी. आर. सी. 4. ग्राम प्रधान (32)	विकास खण्ड के सीमान्त ग्रामों/मजरों विशेष रूप से अलहदीनपुर, हैदलपुर तथा रामपुर में प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा ए. आई. ई केन्द्र खोलने की मांग की गयी।
8.	24.2. 2001	जिलाधिकारी हाथरस का समीकक्ष	1. जिलाधिकारी हाथरस 2. प्राचार्य डायट 3. जि. वे. शि. अ. 4. मान. विधायक श्री रामवीर उप0 5. सांसद प्रतिनिधि हाथरस 6. भाजपा जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि 7. जिला अर्थ एवं संस्था अधिकारी हाथरस 8. जिला समाज कल्याण अधिकारी हाथरस 9. उप वे. शि. अ. हाथरस 10. से. के. शि. अ. 11. अन्य सम्भ्रान्त नागरिक व समाज सेवी 12. स्वैच्छिक सेवी संगठन	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राचार्य डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में उक्त तिथि तक की गई कार्यवाही पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। पुनः 2,3,4. मार्च को बैठकें कर ग्राम प्रधानों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों में योजना का व्यापक प्रचार/प्रसार करने का निर्णय लिया गया। जिले में एक ब्रिज कोर्स खोलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिएकहा गया। असेवित क्षेत्रों की सूचियाँ जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराने हेतु किया गया जिससे किसी भूल की आशंका न रहे। बैठक में विशेष रुप से यह बिन्दु उभर कर आया कि जिन उच्च प्रा0 वि0 में छात्रा संख्या अधिक है उनमें कार्यानुभव कार्यक्रम संचालित किया जाय। अत्यन्त गरीब परिवारों की बच्चियाँ घरेलू काम तथा बच्चों की देखभाल में लगी रहती हैं इनकी शिक्षा हेतु नवाचार बालिका शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है। शिक्षकों द्वारा बच्चों को गृहकार्य देने हेतु सुझाव आया और गृह कार्य देने एवं उसकी नियमित जांच कर अभिभावकों के अवलोकनार्थ भेजने का निर्णय लिया।
9	26.2. 2001	राष्ट्रीजन सहयोग एवं बाल विकास	1. प्राचार्य डायट 2. नि0 बे0 शि0 अ0 3. उप बे0 शि0 अ0	गोष्ठी में विशेष रूप से इन तथ्यों पर बल दिया गया कि मिड डे मील व छात्रवृत्ति का वितरण समय से हो। शिक्षक समय से स्कूल आवें एवं स्कूल

			4. प्रवक्ता डायट 5. ए. बी. एस. ए. 6. परियोजना अधिकारी	के पास ही शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जायें। स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था हो तथा स्कूलों में पुस्तकालय बनायें जायें। डायर की प्राचार्य ने सुझाव दिया कि बालिकाओं को नियमित स्कूलों में भेजने हेतु उनके अभिभावकों को प्रेरित किया जाय तथा उन्हें बालिका शिक्षा के महत्व को समझाया जाय।

सोशल एसेसमेंट स्टडी

स्कूल से बाहर बच्चों तथा ऐसे वर्गों की समस्यायें जानने के उद्देश्य से जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते है। जनपद अलीगढ़ में सोशल एसेसमेंट स्टडी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा की गयी। अलीगढ़ तथा हाथरस के सामाजिक परिवेश में बहुत अधिक भिन्नता नहीं है और यह जिला पूर्व में अलीगढ़ जनपद का ही भाग था इसलिए सन्दर्भित अध्ययन के अधिकांश निष्कर्ष इस जिले के लिए भी लागू होंगें। उक्त अध्ययन द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट समस्याओं और उनके समाधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ।

1. विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा–कक्षों का न होना, अध्यापकों की अनुपस्थिति तथा शिक्षण सामग्री के अभाव के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पडता है और बच्चों के ठहराव में बाधा आती है।
2. विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायतों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ।
3. सर्वशिक्षा अभियान में शिक्षा के लिए किये जा रहे सभी प्रयासों को समेकित करके प्रभावी कदम उठाये जायें।

उपरोक्त सभी सुझावों को सर्वशिक्षा अभियान में अपनायी गयी रणनीति तथा कार्यक्रम तैयार करते समय समावेश कर लिया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियां द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.7 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – हाथरस

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	105296	93376	198672	95819	84972	180792	91
2001-02	108139	95897	204036	104895	93020	197915	97
2002-03	111059	98486	209545	114391	101441	215831	103
2003-04	114057	101146	215203	123182	109237	232419	108
2004-05	117137	103876	221013	131193	116342	247535	112
2005-06	120300	106681	226981	138345	122683	261028	115
2006-07	123548	109561	233109	144551	128187	272738	117
2007-08	126883	112520	239403	149722	132773	282496	118
2008-09	130309	115558	245867	155068	137514	292582	119
2009-10	133828	118678	252505	160593	142413	303006	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – हाथरस

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	43815	38854	82669	37681	31472	66962	86
2001-02	44998	39903	84901	40498	34317	73015	90
2002-03	46213	40980	87193	43440	37292	79346	94
2003-04	47461	42087	89548	46511	39983	85070	98
2004-05	48742	43223	91965	49230	42791	91046	101
2005-06	50058	44390	94448	52061	45722	97282	104
2006-07	51410	45589	96999	54494	48324	102818	106
2007-08	52798	46820	99618	57022	50565	107587	108
2008-09	54223	48084	102307	59103	52411	111515	109
2009-10	55687	49382	105070	61256	54320	115576	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	35
2001-02	31
2002-03	26
2003-04	21
2004-05	15
2005-06	9
2006-07	4
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय 5

समस्याऐं एवं रणनीति

जनपद में न्यून साक्षरता का मुख्य कारण रोजगार परक शिक्षा न होना, मजदूर परिवारों में पढ़ने योग्य बच्चों का अपने छोटे भाई–बहनों की देखरेख में लगा रहना, मजदूरों का अपने परिवार सहित ईंट भट्टों पर रहकर मजदूरी करना, आलू की खुदाई के समय बच्चों द्वारा आलू बीनने का कार्य करना, विद्यालयों में अध्यापकों की कमी, पर्याप्त कक्षा–कक्षों की कमी, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का अभाव, अध्यापक–अभिभावक सम्पर्क का अभाव, तथा विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी का होना है। जनपद में व्यापक स्तर पर समाज के विभिन्न वर्गो, ग्राम शिक्षा समितियों आदि से विचार विमर्श किये गये जिनकी फलस्वरुप जनपद की समस्याएं तथा उनके समाधान हेतु रणनीतियॉ जो उभर कर आयी उनका विवरण निम्न लिखित सारिणी में दिया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इन सभी बैठकों में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि स्कूल कि स्कूल के बाहर सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। और उन्हें कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण करने का कार्य सुनिश्चित किया जाये।

समस्या का प्रकार	समस्यायें	रणनीतियॉ
पहुँच सम्बन्धी	1. जनपद में प्राथमिक विद्यालय के निर्धारित मानक के अनुसार 124 असेवित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की कमी	124 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।
	2. जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्धारित मानक के अनुसार 53 असेवित क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी	53 नवीन उच्च प्रा0 विद्यालय खोले जायेंगे।
	3. जनपद की 79 बस्तियों में 1 किमी0 की परिधि में विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण छोटे बच्चे विद्यालय नही जा पाते हैं।	79 बस्तियों के छोटे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 79 विद्या केन्द्र (ई0जी0 एस0) खोले जायेंगें।
	4. जनपद की 29 बस्तिया ऐसी हैं जहाँ पर 9–14 वय वर्ग के 20 या 20 से अधिक ऐसे बच्चे उपलब्ध हैं जो कभी विद्यालय नहीं गये या बीच में पढ़ाई छोड़ दी।	स्कूल न जाने वाले अथवा बीच में पढाई छोड़ देने वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 29 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।
	5. ईट भट्टों पर रहकर मजदूरी करने वाले परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं	भट्टों पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।

धारण सम्बन्धी	–आलू की खेती वाले क्षेत्रों में आलू की खुदाई के समय गरीब परिवारों के अधिकांश बच्चे आलू बीनने के कार्य में लग जाते हैं जिसके कारण एक से दो माह तक विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं।	इस वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिये अंशकालिक शिक्षा मित्र नियुक्त कर उचित व्यवस्था की जाएगी तथा ग्रीष्मकालीन कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।
	अनेक बस्तियों में यह प्रश्न उठाया गया हैं कि पढाई करने के बाद सभी को नौकरी तो मिलती नही है पढाई में लगे रहने के कारण उन्हें काम धन्धों का ज्ञान भी नहीं हो पाता जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है इस कारण अभिभावक बच्चों को विद्यालय न भेजकर किसी काम धन्धे में लगाना पसन्द करते हैं।	उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढाई के साथ–साथ कार्यानुभव की कक्षायें भी संचालित की जायेगी जिससे उनको रोजगार परक शिक्षा दी जा सके।
	मजदूर परिवारों में पढ़ने योग्य बच्चों द्वारा उनके छोटे भाई बहिनों की देखरेख करने के कारण विद्यालय को पढने नहीं जाते हैं।	जिन क्षेत्रों में ECCE केन्द्र नही हैं वहा पर नवीन ECCE केन्द्र खोले जायेंगें तथा पूर्व से संचालित ECCE केन्द्रो को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।
	अध्यापक अभिभावक सम्पर्क न होने के कारण बच्चों की गतिविधि एवं प्रगति से अनभिज्ञ रहते हैं जिससे अभिभावकों में विद्यालय के प्रति लगाव का अभाव रहता है।	विद्यालयों में मासिक परीक्षायें कराकर प्रगति कार्ड उपलब्ध कराये जायेगें तथा मासिक परीक्षा के बाद अध्यापक – अभिभावकों की बैठक बुलाकर बच्चे की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराया जायेगा।
	विद्यालयों में मनोरंजन का अभाव होने के कारण बच्चों का विद्यालय में कम ठहराव रहता है	परियोजना के प्रथम वर्ष में न्याय पंचायतवार एक–एक विद्यालय में झूला तथा फिसल पट्टी की उपलब्धता कराई जायेगी। शेष विद्यालयों के परिणाम को देखकर अगले बर्षो में कार्ययोजना बनाई जायेगी।
	विद्यालयों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था का समुचित अभाव रहने के कारण विद्यालय में ठहराव कम रहता है।	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति न्याय पंचायत की दर से प्रति एक–एक विद्यालय में छात्रों की बैठने की व्यवस्था हेतु फर्नीचर की उचित व्यवस्था की

		जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक/पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी।
	विद्यालयों में निर्धनता के कारण बच्चों के अभिभावक पाठ्यपुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं जिसके कारण पाठ्यपुस्तकों के अभाव में बच्चों का विद्यालयों में ठहराव कम हो जाता है।	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्र एव छात्राओं, अन्य वर्ग की समस्त बालिकाओं तथा निर्धन वर्ग के छात्रों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जायेंगी।
संस्थागत क्षमता का विकास	जनपद में दो विकास क्षेत्रों (सादाबाद, सहपऊ) में BEP अथवा DPEP प्रोजेक्ट द्वारा आच्छादित न होने के कारण बी0 आर0 सी0 तथा एन0 पी0 आर0 सी0 का निर्माण तथा संचालन नहीं हो पाया है।	दोनों विकास क्षेत्रों में एक–एक बी0 आर0 सी0 तथा प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक–एक एन0पी0आर0 सी0 का निर्माण कराया जायेगा।
गुणवत्ता सम्बन्धी	ग्रामवासियों ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु बल दिया जिसमें छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर में सुधार हो सके।	इस विषय में विस्तृत रणनीति अध्याय 9 में दी गई है।

अध्याय 6

शिक्षा की पहुंच का विस्तार

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि हाथरस में वर्ष 1993 से 2000 त बेसिक शिक्षा परियोजना क्रियान्वित की गयी जिसमें शिक्षा की पहुँच में विस्तार हेतु कु 64 प्राथमिक विद्यालय तथा 31 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी इस बावजूद कुछ बस्तियां ऐसी रह गयी जिनमें मानक के अनुसार प्राथमिक अथवा उ प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध होना चाहिए था। ऐसी सभी असेवित बस्तियों को सर्वशि अभियान में उपर्युक्त सुविधा से आच्छादित किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रक है।

6.1 नवीन प्रा0 विद्यालयों की स्थापना :

जनपद हाथरस में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 731 तथा मान्यता प्रा प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 333 है, इस प्रकार कुल प्राथमिक विद्यालय 1064 हैं

जनपद में सादाबाद तथा सहपऊ दो विकास खण्ड जो नवीन जनपद गठन समय मथुरा जनपद से पृथक होकर इस जनपद में सम्मिलित हुए हैं अतः बी0ई0पी0 आच्छादित नहीं हो पाये थे, इस कारण इन दोनो विकास खण्डों में 61 संख्या असेवित ग्राम/बस्तियाँ रह गयी हैं शेष पाँच विकास खण्ड बी0 ई0 पी0 द्वा आच्छादित हो चुके हैं जिनके अन्तर्गत 1991 की जनगणना के आधार पर असेवि बस्तियों में विद्यालय खोले जा चुके हैं परन्तु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण कु ग्राम/मजरे भी असेवित क्षेत्र की परिधि में आ गये हैं। इस प्रकार नवीन प्राथमि विद्यालय खोलने हेतु 124 ग्राम/बस्तियाँ जिनकी आबादी 300 से अधिक तथ निकटतम परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1.5 किमी0 स अधिक है। वर्ष 2002–2007 की अवधि में 45 नवीन प्राथमिक विद्यालय असेवित बस्तियें में स्थापित किये जाने का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

6.2 नवीन उच्च प्रा. विद्यालयों की स्थापना :

जनपद में कुल परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 151 तथा मान्यत प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 104 है। इस प्रकार कुल उच्च प्राथमि विद्यालय 255 हैं। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु 53 ग्राम/बस्तियाँ जिनक आबादी 800 से अधिक तथा निकटतम परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमि विद्यालय की दूरी 3 किमी से अधिक है असेवित निकल कर आयी हैं परन्तु सर्वशिक्ष अभियान के मानक के अनुसार प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमि विद्यालय की स्थापना का मानक है। वर्तमान में तथा असेवित क्षेत्रों में विद्यालय क संख्या के आधार पर 53 के अतिरिक्त 161 अथवा कुल 214 उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी। वर्ष 2002–2007 की अवधि में 42 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का वित्तीय प्राविधान रखा गया है। जो मानक के अनुसार असेवित बस्तियों, जिनमें कक्षा–5 उत्तीर्ण कम से कम 25 बच्चे उपलब्ध हों, में खोले जायेंगे।

असेवित क्षेत्रों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु सूची

क्रम संख्या	विकास खण्ड	असेवित क्षेत्र	
		क्रम सं0	ग्राम/मजरे का नाम
1	हाथरस	1	नगला तजना
		2	कुरार

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11485
DOC, No
Date 09-07-2002

		3	खेडा चतुर्भुज
		4	दरकई
		5	न0 मान
		6	गढी सिधा
		7	रतनगढ़ी
		8	न0 फारस
		9	न0 मल्हू
		10	न0 करन
2	मुरसान	11	नगला बांस
		12	नया बांस
		13	मूंगसा
		14	नगला मौठा
		15	गिर्लोदपुर
		16	केसरगढ़ी
		17	अहरई
		18	मथु
		19	न0 धन सिंह
3	सासनी	20	अकवरपुर
		21	नौजरपुर
		22	नहलोई
		23	नगला भीका
		24	भोपतपुर
		25	गढी नन्दराम
		26	नगला हरिया
		27	कटैलिया
		28	वत्तीसा
		29	गोपालपुर
		30	मदारगड़ढा
		31	नगला वांग
		32	नगला वीरवल
		33	नगला मिश्रिया
		34	नगला भम्भूजाट
		35	नगला नया
		36	नगला रतना
		37	नगरिया चैन
		38	जलालपुर
		39	जरैया गढाखेडा
4	सिकन्दराराऊ	40	पहाड़पुर
		41	लश्करगंज
		42	लच्छिमपुर
		43	नण्गंगी
		44	न0 अडू
		45	खेमगढी
		46	चडरपुरा
		47	वारमऊ
		48	भुडिया

5	हसायन	49	हैदलपुर
		50	रामपुर (ढहौली)
		51	सुलतानपुर
		52	मानपुर
		53	शीतलवाड़ा
		54	नवावपुर
		55	अमौसी
		56	कमालपुर
		57	उल्दापुर
		58	नगला विहारी
		59	नूरपुर
		60	डेरावंजारा
		61	असोई
		62	नं0 ब्राहमण
		63	अभयपुर
6	सहपऊ	64	नं0 परशु
		65	गढ़ी भूपचन्द्र
		66	नं0 रतिया
		67	नं0 रमजू
		68	भूत नगरिया
		69	नं0 बैनी
		70	नं0 महासुख
		71	नं0 प्रेमसिंह
7	सादाबाद	72	नं0 सरूपा
		73	नं0 चौधरी
		74	नं0 नत्थू
		75	नं0 बाग
		76	नं0 सकत सिंह
		77	नं0 गरीबा
		78	नं0 जाटव
		79	नं0 भूरा
		80	गठवै
		81	वासमोहन
		82	वासपुरम
		83	नं0 कंचन
		84	कल्हू
		85	श्रीनगर
		86	नं0 वशिया
		87	जंजरिया
		88	नं0 दौरवल
		89	गढ़ी हरबल
		90	नं0 केहरी
		91	नं0 छिददा
		92	नं0 शोशिया
		93	नं0 हरी
		94	पट्टी शक्ति

		95	कुकरई
		96	लालगढ़ी
		97	नं0 छीतर
		98	सरमस्तपुर
		99	नं0 मदारी
		100	नं0 भंगड़ी
		101	नं0 राजा
		102	गढ़ी रत्ती
		103	नं0 धोकला
		104	सूमरा
		105	नं0 मौहकम
		106	गढ़ी भगता
		107	मेंडोरा
		108	सिदूरा
		109	वनगढ़
		110	गढ़
		111	नं0 गिजौली
		112	गढ़ी राधे
		113	गढ़ी हरिया
		114	निवारी
		115	नं0 हीरालाल
		116	नं0 संधारी
		117	नं0 दयाल
		118	नं0 मानधात
		119	मोतीगढ़ी
		120	नं0 काठ
		121	नं0 मिठास
		122	नं0 धांधू
		123	नं0 जागराम
		124	छाबा

असेवित क्षेत्रों में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु सूची

क्रम संख्या	विकास खण्ड	असेवित क्षेत्र	
		क्रम सं0	ग्राम/मगरे का नाम
1	हाथरस	1	हाजीपुर
	"	2	तेहरा
2	मुरसान	3	कुँवरपुर
	"	4	झीगुरा
	"	5	कौरना चमरूआ
	"	6	खरगू

	..	7	अठरई
	..	8	पैठगाँव
	..	9	दाऊदा
3	सासनी	10	किदौली
	..	11	असवा
	..	12	अमरपुर घना
	..	13	वीरनगर
	..	14	विर्रा
4	सि0 राऊ	15	न0 जलाल
	..	16	बढानू
	..	17	नरहस्पुर
	..	18	गुरैठा
	..	19	बरगवाँ
	..	20	गोकुलपुर
	..	21	कदमपुर
	..	22	रतिभानपुर
5	हसायन	23	नगरिया पं0 देवरी
	..	24	भुर्रका
	..	25	घुबई
	..	26	गंगापुर
6	सादाबाद	27	नं0 छीतर
	..	28	कूपा कलां
	..	29	करकौली
	..	30	मढ़नई
	..	31	कजरौठी
	..	32	बहादुरपुर
	..	33	करसौटा
	..	34	सुसाइन
	..	35	घनौटी
	..	36	कूरसंडा
	..	37	गुरसौटी
	..	38	कंजौली
	..	39	सरौठ
	..	40	नानऊ
	..	41	अरौठा
	..	42	नं0 चौधरी
	..	43	ताजपुर
	..	44	तसींगा
	..	745	विल्हू चहत्तर
	..	46	नं0 पं0 सादाबाद उर्दूभा0
7.	सहपऊ	47	रामपुर
	..	48	सलेहपुर चन्दवारा
	..	49	उदैना
	..	50	घरौरा
	..	51	कुकर गँटा

	"	52	कोंकना कला
	"	53	चौवारा

6.3 शिक्षकों की व्यवस्था

असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने से उनके संचालन हेतु अध्यापकों की आवश्यकता होगी जिसके लिए 124 प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक नियमित अध्यापक तथा एक शिक्षामित्र प्रति विद्यालय की दर से कुल 124 अध्यापक तथा 124 शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी। 53 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु एक प्रधान अध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापक प्रति विद्यालय की दर से कुल 53 प्रधान अध्यापक तथा 212 सहायक अध्यापकों की आवश्यकता होगी जिनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त मानक के अनुसार 161 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 161 प्रधानाध्यापक एवं 644 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। नवीन विद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार है।

विद्यालय प्रकार	नवीन विद्यालयों की संख्या	अध्यापकों की आवश्यकता		
		अध्यापक	शिक्षा मित्र	रू0 अध्यापक
नवीन परिषदीय प्रा0 विद्यालय	124	124	124	–
नवीन परिषदीय उच्च प्रा0 विद्यालय (राज्य सरकार के मानक के अनुसार)	53	53	–	212
नवीन परिषदीय उच्च प्रा. वि. (एस एस ए के मानक के अनुसार)	214	214	–	856

6.4 विद्यालय साज–सज्जा

प्राथमिक स्तर –

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग बी.ई.पी. की भांति ग्राम शिक्षा समति के माध्यम से कराया जायेगा इस धनराशि से निम्न धनराशि को क्रय किया जायेगा – मेज, कुर्सी, बालटी, घंटा, लोटा, गिलास, टाट पट्टी आलमारी, सन्दूक, श्याम पट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेंट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि) क्रीडा सामग्री (फुटबाल, वालीवाल, हवा भरने की पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) क्लास रूम टीचिंग मेटिरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोक, शब्द कोष, ज्ञान कोष,

खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम सामग्री के माध्यम से करायी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था की गयी थी। इसी प्रकार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है, जो इस प्रकार है – मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा लोटा, गिलास, कूड़ादान म्युजिकल इक्यूपमेंट, (ढ़ोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि) क्रीडा सामग्री (फुटबाल, वालीवाल, स्कीपिंग रोप, हवा भरने का पम्प) क्लास रूम टीचिंग मेटिरियल (गणित किट, विज्ञान किट, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ग्लोब, टू इन वन आदि) तथा टीचर इक्यूपमेंट की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

6.5 पेयजन, शौचालय, चहारदीवारी –

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क–।। हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिका के लिए पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा, बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चहारदिवारी का निर्माण कराया जायेगा। इन सब की लागत प्रत्येक विद्यालय की यूनिट लागत में शामिल किया गया है।

6.6 निर्माण कार्यवाही संस्था –

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालय के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति को दायित्व सौंपा गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय 7

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना (ई.जी.एस./ए.आई.ई.)

7.1 शिक्षा की पहुँच

जनपद हाथरस में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार 24 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति के रहते हैं। पिछड़ी जाति के 30 प्रतिशत अल्पसंख्याक समुदाय के 8 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 38 प्रतिशत व्यक्ति इस जनपद में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति की संख्या इन जनपद में नहीं है।

आर्थिक दृष्टि से जनपद हाथरस का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है जो खेती करते है अथवा खेतिहर मजदूर हैं। कुल भूमि की 4.83 प्रतिशत भूमि ऊसर है जिसका अधिकांश क्षेत्रफल हसायन तथा सिकन्द्राराऊ विकास खण्ड में आतां है। खेती में गेहूं, बाजरा, अरहर तथा आलू की प्रमुख फसलों का उत्पादन होता है। आलू की खेती लगभग पूरे जनपद में होती है। परन्तु विकास खण्ड सादाबाद, सहपऊ, मुरसान, सासनी तथा हाथरस में प्रमुख रूप से आलू की खेती होती हैं। जिसके कारण आलू खुदाई के समय लगभग 2 माह तक अधिकांश कृषक, मजदूर तथा बच्चे इस कार्य में लग जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर वर्ग का अधिकांश भाग खेती पर निर्भर होने के कारण उन्हें पूरे वर्ष कार्य नहीं मिलता जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है तथा वे गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। मजदूरों का कुछ भाग वर्ष के लगभग 8 माह तक ईंट के भट्टों पर मजदूरी का कार्य करते हैं। इस अवधि में वे अपने बच्चों तथा परिवार को लेकर भट्टों परनिवास करते हैं इस कारण उनके बच्चे शिक्षा से बंचित रहते हैं अथवा थोड़े समय ही विद्यालयों में जाते हैं शेष 7–8 माह के लिए विद्यालयों से अलग हो जाते हैं।

नगर क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र के समीप वाले क्षेत्रों के मजदूर विभिन्न उद्योगों में मजदूरी करते हैं। इ जनपद के हाथरस नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में गलीचा उद्योग तथा पीतल उद्योग, पुरदिल नगर के क्षेत्र में मोतियों का उद्योग तथा हसायन नगर क्षेत्र में गुलाब, इत्र का उद्योग प्रमुख हैं।

जनपद के 7 विकास क्षेत्रों में से 5 विकास खण्डों–सहपऊ, सादाबाद, सि0 राऊ, मुरसान तथा हसायन विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा संचालित रही है जिसके अन्तर्गत पूरे जनपद में कुल 497 केन्द्र संचालित रहे हैं। पिछला अनुभव यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम कतिपय कारणों वश अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया है।

7.2 माइक्रोप्लानिंग

वर्ष 2000 में ग्राम पंचायत स्तर प्रत्येक ग्राम/नगर की बालगणना करायी गयी जिसमें ग्राम/मजरे कुल जनसंख्या6–11 वर्ष के लिंग तथा वर्गवार बच्चों की संख्या, पढ़ने वाले तथा न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तथा चिन्हीकरण कराया गया। तदुपरान्त पुनः 6–9 फरवरी 2001 को एक अभियान के रुप में ग्राम/मजरे वार सर्वेक्षण कराकर विद्यालय न जो वाले बच्चों को विद्यालय न जाने के कारण सहित चिन्हित किया गया। यह कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर उस पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य अध्यापकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से किया गया। प्राप्त आँकडे ग्राम पंचायत स्तर से संकुल स्तर प एन0 पी0 आर0 सी0 के प्रभारी द्वारा संकलित किये गये तथा संकुल रत्तर से विकास क्षेत्र स्तर पर एकत्रित किये गये तदुउपरान्त जिला स्तर पर आंकडों का एकत्रीकरण किया गया। जिला स्तर पर एकत्रित आंकड़ों द्वारा आु एवं वर्गवार कुल बच्चों की संख्या, विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या, विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात की गयी तथा विद्यालय न जाने वाले वच्चों के वाहुल्य क्षेत्रों का पता लगाया गया। उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा जनपद में कुल बच्चों की संख्या विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या तथा न जाने वाले बच्चों की संख्या निम्न सारणी 7.1 के अनुसार है।

सा ी 7.1

विद्यालय न जाने वाले बालकों का विवरण

आयु वर्ग	कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6–11 वर्ष	93141	82728	175869	89064	79018	168682	4077	3710	7787
11–14 वर्ष	55582	45765	101347	54378	43846	38224	1204	1919	3123

आंकडों का श्रोत – अध्यापकों द्वारा बालगणना मई 2000

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001–02 में माइक्रोप्लानिंग एक्सरसाइज़ पुनः की जायेगी और भविष्य में ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. केन्द्रों की संख्या इसी के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

7.3 ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका

प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 से 9 फरवरी 2001 के मध्य में ग्राम शिक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के अतिरिक्त अन्य जनप्रतिनिधि तथा अभिभावकों को आमंत्रित किया गया। बैठक में सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी, अभियान के उद्देश्य तथा लक्ष्यों की जानकारी दी गयी। बैठकों में विद्यालय न जाने वाले बच्चों का कारण तथा उनके लिए शिक्षा की सम्भावाओं की समीक्षा की गयी।

ग्राम स्तर पर ग्राम योजना समिति का गठन कराकर ग्राम योजना तैयार करवायी गयी। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रस्ताव तथा सम्भावनाये ब्लाक स्तर पर संकलित करके जिला स्तर पर संकलित की गयी। जिसके अनुसार निम्नानुसार कार्यक्रम प्रस्तावित हैं –

कार्यक्रम

7.4 शिक्षा गारन्टी योजना (ई0 जी0 एस)

जनपद में अनेक ऐसे ग्राम/मजरों की जानकारी हुई जिनसे1 किमी की ..रेधि में कोई भी विद्यालय अथवा शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इन ग्राम मजरों के 6 से 8 वर्ष के छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जाते अथवा उनको जाने में कठिनाई होती है अथवा नियमित विद्यालय नहीं जाते, ऐसे क्षेत्र जहाँ 6–8 वर्ष की आयु के 30 अथवा 30 से अधिक बच्चे उपलब्ध हैं का विवरण विकास खण्डवार निम्न तालिका के अनुसार है।

E.G.S. (शिक्षा गारन्टी योजना) हेतु प्रस्तावित केन्द्रों की सूची

विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	E.G.S. केन्द्र हेतु ग्राम/मंजरे का नाम	आवादी	निकटतम प्रा0 वि0 की दूरी	6–8 वर्ष के उपलब्ध बच्चों की संख्या
हाथरस	1	मेवली	475	01 कि0मी0 से अधिक	36
	2	नं0 खुशाली	415	.. ..	40
	3	नं0 खिरनी	450	.. ..	38
	4	गल्हा	350	.. ..	35
	5	हिम्मतपुर	533	.. ..	39
	6	नवलगढ़ी	280	.. ..	45
	7	नकटपुरा	500	.. ..	40
	8	नं0 जायस	275	.. ..	36
	9	दादनपुर	550	.. ..	45
	10	धौराकूँआ	490	.. ..	45
	11	नं0 चौखा	325	.. ..	34
	12	नं0 अलगर्जी	1000	.. ..	35
	13	बघना	385	.. ..	40
	14	शहजादपुर	777	.. ..	50
मुरसान	15	पट्टी सामन्त	282	1.5 कि0मी0	21
	16	नं0 बीच	347	1 कि0मी0	35
	17	लखुपुरा	484	.. ..	40
	18	नं0 रामराय	443	.. ..	37
	19	रतभानगढी	850	1.5 कि0मी0	69

	20	भीलम	558	1 किमी0	65
	21	नं0 नया	421	.. ..	61
	22	नं0 अनी	1556	.. ..	155
	23	नं0 कृपा	632	.. ..	75
सासनी	24	नं0 प्रीतम	591	.. ..	36
	25	नं0 नन्नी	544	.. ..	32
	26	नं0 माधौ	631	.. ..	41
	27	नं0 सद्दा	664	.. ..	39
	28	जैतपुर	581	.. ..	38
	29	नं0 महमूदपुर	528	.. ..	32
	30	नं0 सुक्खा	574	.. ..	37
	31	अलीपुर	793	.. ..	49
	32	गदाखेड़ा	609	.. ..	40
	33	हासिमपुर	598	.. ..	40
	34	नं0 रूँद	542	.. ..	43
	35	ममौताखुर्द	629	.. ..	47
	36	गढौआ	614	.. ..	47
	37	मुकन्दखोड़ा	523	.. ..	38
	38	नं0 बल्देव	647	.. ..	36
	39	ऊसरी	514	.. ..	33
सि0 राऊ	40	अल्हैपुर	317	1.5 किमी0	32
	41	गठिया	734	.. ..	41
	42	नगरिया	390	.. ..	33
	43	नं0 छऊआ	300	.. ..	32
	44	नं0 भूड़	979	.. ..	44
	45	रायपुर	377	.. ..	32
	46	गठिया	689	.. ..	38
	47	नं0 कोठी	448	.. ..	32
	48	उम्मेदपुर	425	.. ..	32
	49	जुल्हापुर	1029	.. ..	65
	50	गड़िया	724	.. ..	43
	51	नं0 शकर	343	.. ..	32
	52	राजपुर	442	.. ..	33
	53	हीरापुर	384	.. ..	33
	54	कुन्दनपुर	524	.. ..	35
	55	देवीपुर	523	.. ..	36
हसायन	56	अमौसी	655	.. ..	43
	57	कमालपुर	575	.. ..	35
	58	नवाबपुर	637	.. ..	40
	59	नं0 बिहारी	527	.. ..	40
	60	रायपुर टप्पा	696	1.2 किमी0	38
	61	कमसारा गढ़ी	330	1.5 किमी0	32
	62	अल्हैदीनपुर	313	1 किमी0	35
	63	गढ़ी हररूप	375	1 किमी0	37
	64	नं0 कुशल	361	.. ..	28
	65	अतुर्रा	389	.. ..	34

	66	गढी जयमल	291	.. ..	34
	67	नं0 बहादुर	312	.. ..	37
	68	दत्त गढी	380	.. ..	35
	69	गढी नीलकंठ	410	.. ..	39
	70	पालरा	390	.. ..	41
	71	गढीऊँचा	370	.. ..	35
	72	पोंदा	312	.. ..	32
	73	नं0 हरनाम	275	.. ..	28
सहपऊ	74	नं0 रायसिंह	375	.. ..	30
	75	लाला भौलू	37[illegible]	.. ..	30
	76	नं0 मंशाराम	303	.. ..	30
	77	नं0 जसुआ	240	.. ..	30
	78	नं0 कंजड / नं0 बंजारा	517	.. ..	30
	79	गढ़ी बलजीत	524	.. ..	30

श्रोत विभागीय आंकडे

उपरोक्त तालिका के अनुसार जनपद में कुल 79 ई जी एस केन्द्रो के माध्यम से 3155 बच्चों को कक्षा 1 तथा 2 की शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी अतः इन केन्द्रों के संचालन हेतु 79 अनुदेशकों की नियुक्ति की जायेगी। नियुक्त अनुदेशकों को माह का प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा खोले गये ई जी एस केन्द्रो के संचालन तथा पठन-पाठन हेतु शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

7.5 वैकल्पिक शिक्षा – (ए. आई. ई.)

ग्राम पंचायत स्तर पर किये गये एफ. जी. डी. के आधार पर तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जनपद में लगभग 1025 बच्चे ऐसे है जो विद्यालय समय में कार्यो में सलग्न रहने के कारण विद्यालय नहीं आ पाते हैं तथा वे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। इन कामकाजी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाएगें, जो क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार समय निर्धारित करते हुए 4 घण्टे संचालित किए जाएगें। खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का विवरण विकास खण्ड वार सूची निम्न प्रकार है

ए. आई. ई. (वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र) हेतु प्रस्तावित सूची

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	क्रम सं0	ए. आई. केन्द्र हेतु केन्द्र का नाम	9–14 वर्ष के न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
1	हाथरस	–	–	–
2	मुरसान	1	खरगू	30

		2	टुकसान	23
3	सासनी		–	–
4	सिकन्दराराऊ	3	नं0 जलाल	21
		4	टोली	41
5	हस्तायन	5	नवावपुर	19
		6	मढ़ी	21
		7	मोहनपुर	17
		8	जरीनपुर	20
6	सादाबाद	9	नं0 कला	19
		10	नं0 छेरा	29
		11	जतोई	17
		12	गढी बैरी	17
		13	ताजपुर	25
		14	बनारसीपुर	18
		15	कुरसन्डा	21
		16	नगरिया	16
		17	पुसौनी	25
		18	कनौली	16
		19	गोविन्दपुर	26
		20	घूचा	20
		21	कुम्हरा	15
		22	सादाबाद I	474
		23	सादाबाद II	
		24	सादाबाद III	
		25	सादाबाद IV	
7	सहपऊ	26	राजनगर	23
		27	मुतहरा	30
		28	तकिया	17
		29	कोकनाकलाँ	20

श्रोत – विभागीय आंकडे

उपरोक्तानुसार जनपद में कुल 29 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगें जिनमें लगभग 1025 बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन केन्द्रो के संचालन हेतु प्राथमिक स्तर के एक अनुदेशक प्रति केन्द्र की दर से कुल 58 अनुदेशक नियुक्त किये जाएगें। अनुदेशकों को 30–30 दिन का प्रशिक्षण कराया जायेगा जो डी. आई. ई. टी. के माध्यम से सम्पन्न होगा।

ए. आई. ई. केन्द्रों के संचालन हेतु छात्रों के शिक्षण हेतु सामग्री, केन्द्रो के लिए शिक्षण–सामग्री तथा केन्द्र कन्टीजेन्सी उपलब्ध करायी जायेगी।

7.6 ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर

जनपद में सर्वेक्षण तथा बालगणना के आधार पर ऐसे ग्राम/मजरे बहुत कम हैं जहाँ 20 या 20 से अधिक संख्या में विद्यालय न जाने वाले बच्चे उपलब्ध हों। अधिकांश ग्राम/मजरों में 2 से 8 बच्चे ही ऐसे हैं जो किन्हीं कारणोंवश विद्यालय नहीं जाते है। विकास खण्ड वार विद्यालय न जाने वाले कुल बच्चों की संख्या निम्न तालिका के अनुसार है।

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
1	हाथरस	1641
2	मुरसान	1767
3	सासनी	1589
4	सिकन्द्राराऊ	764
5	हसायन	485
6	सादाबाद	2350
7	सहपऊ	1022
8	नगर क्षेत्र हाथरस	750
9	नगर क्षेत्र सिकन्द्राराऊ	542
	योग	10910

श्रोत–बालगणना

उपरोक्त तालिका के अनुसार विकास खण्ड सादाबाद में सबसे अधिक न पढ़ने वाले बच्चे निकलकर आये हैं अतः विकास खण्ड सादाबाद में ऐसे सभी न पढ़ने वाले बालक/बालिकाएँ, जो बालश्रमिक, घुमन्तू, स्ट्रीट चाइल्ड अथवा मलिन बस्तियों में रहने वाले हैं, की शिक्षा के लिए एक ब्रिज कोर्स खोला जाएगा जिसमें 100 बच्चों को अलग–2 क्षेत्रों से लाकर प्रवेश कराया जायेगा। यह कोर्स आवासीय होगा जो लगभग 6 माह तक संचालित किया जायेगा। इस शिविर के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ दिया जायेगा। इस शिविर के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ दिया जायेगा। शिविर में बच्चों को रहने, खाने–पीने एवम् शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। व्यवस्था के लिये एक केयर टेकर, दो वैरा टीचर, एक कुक तथा एक चौकीदार की व्यवस्था की जाएगी।

7.7 पर्यवेक्षण की व्यवस्था

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु नियमित पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। पर्यवेक्षण कार्य ग्राम शिक्षा समिति, एन0 पी0 आर0 सी0 के प्रभारियों, वी0 आर0 सी0 समन्वयक, सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उनके अतिरिक्त जिला विद्यालय निरीक्षक मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक) तथा राज्यस्तरीय अधिकारियों डाटा भी पर्यवेक्षण किया जायेगा।

ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यपाक नियमित रूप से प्रदिन, एन0 पी0 आर0 सी0 प्रभारी माह में 10 दिन तथा अन्य अधिकारी समय–समय पर पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

7.8 अनुश्रवण

एन0 पी0 आर0 सी0 प्रभारी/वी0 आर0 सी0 समन्वयकों द्वारा अनुदेशकों की पाक्षिक बैठकें आयोजित की जाएगी तथा संचालित सभी केन्द्रों के उन्नयन हेतु पूर्ण प्रयास किये जायेगें। वैकल्पिक केन्द्रों से सम्बन्धित समस्त आकड़ों का एककीकरण व संकलन किया जाएगा।

आँकड़ों में मुख्य रूप से बच्चों का इन केन्द्रों में आना तथा मुख्य धारा में जाने का विवरण होगा। आँकड़ों का एकत्रीकरण व संकलन किया जाएगा।

आँकड़ों ने मुख्य रूप से बच्चों का इन केन्द्रों में आना तथा मुख्य धारा में जाने का विवरण होगा। आँकड़ों का एकत्रीकरण व संकलन तथा मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक होगा जिसका समय–समय पर सत्यापन कराया जायेगा।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। "अण्डर ऐज" व "ओवर ऐज" बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 3123 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

HoorUtkarsh

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जनू, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जनपद की मुख्य समस्या बच्चों के विद्यालय में ठहराव की है बच्चों के ठहराव में वृद्धि हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना में वर्ष 1993–94 से वर्ष 1999–2000 तक कुल नौ प्राथमिक विद्यालयों तथा आठ उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण व 77 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण हुआ है जिससे नामांकन, ठहराव व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया है किन्तु इसके बावजूद भी दो विकास खण्ड – सादाबाद तथा सहपऊ में बेसिक शिक्षा परियोजना के आच्छादित न होने तथा छात्र संख्या में वृद्धि के कारण अभी भी अनेक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय तथा चहारदीवारी की आवश्यकता है जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

8.1 निर्माण कार्य

(अ) पुर्ननिर्माण

जनपद में 38 विद्यालय जर्जर/ध्वस्त हैं जिनमें छात्रों को नहीं पढ़ाया जा सकता। अतः इन 38 प्राथमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण कराना आवश्यक है। इन विद्यालयों में से 01 विद्यालय जिला योजना द्वारा स्वीकृत हो चुका है। अतः शेष 37 विद्यालयों का पुर्ननिर्माण कराया जाएगा। **वर्ष 2002-2007 की अवधि में 17 जर्जर प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।**

इसी प्रकार जनपद में कुल 141 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों में से 10 विद्यालय भवन जीर्ण/ध्वस्त हैं जिनका पुर्ननिर्माण कराया जाएगा। विकास क्षेत्रवार पुर्ननिर्माण कराये जाने वाले विद्यालयों का विवरण निम्न सारणी में अंकित है।

सारणी 8.1

ब्लाक/न0 क्षेत्रवार पुर्ननिर्माण हेतु प्रस्तावित विद्यालयों का विवरण

क्रम सं0	नाम विकास क्षेत्र/नगर क्षेत्र	पुर्ननिर्माण हेतु विद्यालयों की संख्या	
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1	हाथरस	04	03
2	मुरसान	02	–
3	सासनी	05	–
4	सि0 राऊ	04	04
5	हसायन	03	–
6	सादाबाद	12	02
7	सहपऊ	–	–
8	नगर क्षेत्र हाथरस	04	–

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 10 जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

9.	नगर क्षेत्र सिकन्दराराऊ	03	01
	योग	38	10

श्रोत – विनागीय आंकडे

(ब) अतिरिक्त कक्षा कक्ष

छात्र संख्या के अनुपात में सभी विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्ष उपलब्ध न होने के कारण बच्चों को विद्यालय में बैठने में असुविधा रहती हैं जिसके कारण बच्चों का विद्यालय में ठहराव कम हो जाता है। जनपद में 39 प्राथमिक विद्यालयों के भवन एक कक्षीय हैं तथा 237 विद्यालय दो कक्षीय हैं इन विद्यालयों में न्यूनतम तीन कक्ष का मानक मानते हुए एक कक्षीय विद्यालय में दो–दो तथा दो कक्षीय विद्यालय में एक–एक अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता होगी इसके अतिरिक्त जनपद में 73 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें छात्र नामांकन 200 से अधिक हैं परन्तु इन विद्यालय भवनों में तीन कक्ष से अधिक कक्ष नहीं हैं अतः ऐसे भवनों में एक–एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण की आवश्यकता हैं इस जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कुल 388 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की स्थिति देखी जाए तो दस उच्च प्राथमिक विद्यालय दो कक्षीय हैं तथा 68 उच्च प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय हैं इन विद्यालयों में न्यूनतम चार कक्षा कक्ष विद्यालय के मानक के अनुसार 10 दो कक्षीय विद्यालयो में दो–दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा 68 तीन कक्षीय विद्यालयों में एक–एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता होगी इनके अतिरिक्त 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या अधिक होने के कारण तीन अनुभाग से अधिक अनुभाग हैं अतः ऐसे विद्यालयों में एक–एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता होगी इस प्रकार जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 118 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त कक्षा कक्षों का विवरण निम्न सारणी के अनुसार है

सारणी 8.2

अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता का विवरण

क्र.स.	भवन का प्रकार	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		कुल आवश्यकता
		संख्या	अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता	संख्या	अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता	
1.	एक कक्षीय विद्यालय	39	78	–	–	78
2.	दो कक्षीय विद्यालय	237	237	10	20	257
3.	तीन कक्षीय विद्यालय	73	73	68	68	141
4.	चार कक्षीय विद्यालय	–	–	30	30	30
	योग:		388		118	506

स्रोतः विगीय आँकड़े

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 985 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

सारणी 3.2 ब

प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता

वर्ष	परिषदीय वि0 में छात्र नामांकन	ड्राप आउट दर	वास्तविक नामांकन	40:1 के अनुपात से वांछित अध्या0 संख्या	अति0 अध्या0 की आवश्यकता		
					अध्यापक	शिक्षा मित्र	योग
2000-2001	126784	40 प्रतिशत	76070	1901	--	--	--
2001-2002	129623	35 प्रतिशत	84254	2106	-5	--	--
2002-2003	132526	25 प्रतिशत	99394	2484	56	57	113
2003-2004	135494	15 प्रतिशत	115169	2879	197	198	395
2004-2005	138529	05 प्रतिशत	131602	3290	205	206	411
2005-2006	141632	--	141632	3540	125	125	250
2006-2007	144804	--	144804	3620	40	40	80
2007-2008	148047	--	148047	3701	40	41	81
2008-2009	151363	--	3784	3784	41	42	83
2009-2010	154753	--	154753	3868	42	42	84
योग					746	751	1497

विद्यालय मरम्मत

जनपद में 50 प्राथमिक विद्यालय तथा 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग है जिनकी मरम्मत हेतु रू0 20000/- की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 20 प्राथमिक विद्यालय तथा 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग है, जिनकी मरम्मत हेतु रू0 70,000/- की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

वर्ष 2002-2007 की अवधि में 150 विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा 70 विद्यालयों में वृहत्त मरम्मत का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

(स) शौचालय

जनपद हाथरस में कुल परिषदीय 689 प्राथमिक विद्यालयों में से 244 शौचालय विहीन प्राथमिक विद्यालय हैं इसी प्रकार कुल परिषदीय 150 उच्च प्रा0 विद्यालयों में से 53 शौचालय विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं चूकि विद्यालयों में सहशिक्षा दी जाती है अतः शौचालय न होने के कारण बालिकाओं को असुविधा होती है। इस कारण से बालिका का ठहराव कम हो जाता है। अतः कुल शौचालय विहीन प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय बनवाये जायेंगे। वर्ष 2002–2007 की अवधि में 797 शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

(द) हैण्डपम्प

जनपद में कुल परिषदीय 15 प्राथमिक विद्यालय तथा 6 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैण्डपम्प विहीन है जिनकी सूची यू0 पी0 एग्रो को भेजी जा चुकी है। तथा उन विद्यालयों में हैण्ड पम्प स्थापना का कार्य चल रहा है। अतिरिक्त नवीन हैण्ड पम्पों की आवश्यकता नहीं है।

(य) चहारदीवारी

जनपद में अधिकांश विद्यालय वाउण्ड्री वाल विहीन है जिसके कारण विद्यालय प्रांगण में सफाई, वृक्षारोपण तथा भवन एवं छात्रों की सुरक्षा का अभावरहता है जिससे विद्यालय आकर्षक नहीं हो पाते है। जिससे छात्रों के ठहराव में प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है अतः बाउण्ड्री वाल विहीन विद्यालयों में वाउण्ड्री वाल निर्माण की आवश्कता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चाहर दीवारी निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

जनपद में कुल 467 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा 103 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वाउण्ड्री वाल विहीन हैं अतः इन विद्यालयों में वाउण्ड्री वाल का निर्माण कराया जायेगा।

उपरोक्त विवरण के अनुसार जनपद के परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये पुर्ननिर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, हैण्डपम्प तथा वाउण्ड्री वाल के निर्माण का विवरण सारणी 8.3 के अनुसार है।

सारणी 8.3

विद्यालयों हेतु वांछित भौतिक आवश्यकताओं का विवरण

क्रम संख्या	निर्माण कार्य	निर्माण हेतु संख्या	
		प्रा0 विद्यालय	उच्च प्रा0 विद्यालय
1	पुर्न निर्माण	38	10
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1233	79
3	शौचालय	244	53
4	हैडपंम्प	–	–
5	चाहरदीवारी	454	103

श्रोत – विभागीय सर्वेक्षण

चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रु 40000/– से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था स्थानीय/निजी समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

8.2 अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षामित्र

विद्यालयों में बच्चों का ठहराव कम होनें का कारण छात्र अनुपात में अध्यापकों की अनुपलब्धता है। अतः ज़नपद में 40 : 1 के अनुपात से शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

. वर्ष 2002–2007 की अवधि में छात्र–अध्यापक अनुपात को मानक के अनुरूप लाने हेतु 1500 अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

क–विद्यालय मरम्मत/रखरखाव हेतु अनुदान

विद्यालयों कें रखरखाव, साज सज्जा तथा विद्यालयों को आकर्षित बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों को सुविधा देना आवश्यक है। वर्तमान में जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 689 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 150 है। असेवित क्षेत्रों में नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय और खुल जाने से कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 813 तथा उच्च प्रा0 वि0 की संख्या 203 हो जायेगी। अतः इन विद्यालयों के मरम्मत के रख रखाव, साज सज्जा तथा विद्यालयों को आकर्षक बनाने के लिये 5000 रुपये प्रति विद्यालय तथा प्रति वर्ष की दर से मरम्मत हेतु धन 2000 रुपया प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से स्कूल अनुदान दिया जायेगा।

जनपद में 50 प्राथमिक विद्यालय तथा 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रु 20000/– की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 20 प्राथमिक विद्यालय तथा 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहद मरम्मत योग्य हैं, उनकी मरम्मत हेतु रु 70000/– की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय को होगा।

ख– विद्यालय विकास अनुदान

विद्यालयों की रंगाई पुताई, आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं लघु कार्य कराने हेतु 2000 रुपये प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जायेगा।

8.4 कार्यानुभव बालकों के लिए

जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर कराये गये समूह चर्चा के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि विद्यालयों में शिक्षा के साथ–साथ ऐसी शिक्षा भी प्रदान की जाय कि बच्चे छोटे–मोटे काम धन्धे भी सीख लें जिससे बच्चों को नौकरी न मिलने पर वे व्यवसाय कर अपना जीवन यापन कर सकें। अतः सभी उच्च प्राथनिक विद्यालयों में कार्यानुभव की कक्षाऐं संचालित की जाएगी। जिससे अभिभावकों की शिक्षा की उपयोगिता समझ में आयेगी तथा बच्चों का ठहराव बढ़ेगा। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा कार्यानुभव से सम्बन्धित कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु प्रति विद्यालय की दर से धन की आवश्यकता होगी।

8.5 बालिका शिक्षा हेतु कार्यक्रम

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पाई गई जबकि उत्तर प्रदेश में पुरुषों को साक्षरता 55.73 और महिला साक्षरता केवल 25.31 प्रतिशत रही है।

8.5 बालिका शिक्षा हेतु कार्यक्रम

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पाई गई जबकि उत्तर प्रदेश में पुरुषों को साक्षरता 55.73 और महिला साक्षरता केवल 25.31 प्रतिशत रही है। जनपद हाथरस में महिला साक्षरता राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है। महिला साक्षरता दर 26.8 प्रतिशत है। जनपद में बालिका शिक्षा के प्रति सभी वर्गो में अपेक्षित जागरुकता की कमी है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 ने महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया और तदानुसार बालिका शिक्षा विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गये।

इस विवरण में यह बात स्पष्ट रुप से उभर कर आ रही है कि साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिला वर्ग पुरुषों की तुलना में पीछे है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत प्रतिशत करने के साथ–साथ सभी वर्ग की शत–प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना है।

नामांकन हेतु चलाए गये विभिन्न अभियानों और गाँव स्तर पर बैठक में आए विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्यायें उभर कर आई है जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

इसको दृष्टिगत रखते हुए बैसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये है। इनमें 3–6 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये जिसके परिणाम स्वरुप इन विद्यालयों में बालिका शिक्षा के नामांकन में आशातीत वृद्वि हुई क्योंकि बालिकाएं अक्सर इस वय वर्ग के अपने छोटे भाईबहिनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती थी। कक्षा 5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के लिए कार्याअनुभव के अन्तर्गत प्रयोग के रूप में कार्यानुभव कक्षाओं की व्यवस्था की गयी। परिणामस्वरूप विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति में वृद्वि हुई एवं Drop Out दर में कमी आयी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियाँ –

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ– ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निम्रण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल–ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन**

  - बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंग। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चें कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।

    – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

    – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

    – माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

    बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेगे।

- सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुये नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- कोहार्ट स्टडी

अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाल त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम हैं "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संदेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

कार्यक्रम–

(अ) जनजागरण अभियान –

जनपद हाथरस में 5629 बालिकायें है जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाये जाएगें विशेषकर विकास खण्ड सिकन्दराराऊ ऐसा है जहाँ पर बालिकाऐं घरों पर काम करती है या अल्प संख्यक है अपेक्षा कृत पिछड़ी हुई है इनके माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जाएगा इसके अन्तर्गत प्रभात फेरियाँ जुलूस तथा पोस्टर नारों का लेखन जन सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

(ब) बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन :–

1. समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदन शील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जाएगें।

2. महिला प्रेरक समूहों, MTA का गठन एवं प्रशिक्षण

3. जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों का बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण

(स) बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीतियाँ –

जनपद के अत्यन्त पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों, विकास खण्डों, न्याय पंचायतों, ग्राम सभाओं में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माडल क्लस्टर, माडल ग्राम सभा, विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाएगें।

1 माडल व्लास्टर डवेलपमेन्ट एप्रोच–

न्याय पंचायत को माडलक्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इन क्लस्टर के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम संचालित किए जायेगें ताकि इन न्याय पंचायतों की समस्त ग्राम सभाओं में 6–14 वय वर्ग की बालिका का शत प्रतिशत नामांकन ठहराव सुनिश्चित हो सके साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वामित्व उनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतों में बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं आत्म छवि को विकसित करने उनके नेतृत्व के गुण विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीष्म कालीन शिविरों, किशोरी संघों के गठन आदि आयोजित होंगे। धीरे–धीरे माडल क्लस्टर की संख्या में वृद्वि की जाएगी।

2 विशेष नामांकन अभियान –

चयनित क्लस्टर में पार्टीसिपेटरी रूरल एप्रेजल विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जाएगा प्राप्त आकड़ों के आधार पर सिकन्दराराऊ में नामांकन अभियान चलाया जाएगा।

सभी लक्ष्यगत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, वे नियमित रूप से विद्यालय आयें और उनकी शैक्षिक समप्राप्ति में वृद्वि हो इसके लिए चिन्हित बच्चों के घर घर तक पहुँचना आवश्यक है इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूह का सहयोग लिया जाएगा। इसी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किये जाऐगें ।

अ – मीना कैम्पेन :– इसके माध्यम से प्रत्येक गाँव स्तर पर गोष्ठीयों का आयोजन किया जाएगा, फिल्म प्रदर्शन, बैनर, चार्ट, नारे, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से माता पिता अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा।

ब – माँ बेटी मेला आयोजन :– ग्राम स्तर पर माँ बेटी मेले का आयोजन किया जाएगा इसका उद्देश्य माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना है।

3 ग्राम शिक्षा समितियों की न्यायपंचायत स्तर पर कार्यशालाए/प्रशिक्षण खोलना :– प्रत्येक स्तर पर सुझाव की सहभागिता सुनिश्चित हो सके इसके लिए MTA, PTA, VEC, महिला प्रेरक समूह व्लाक तथा NPRC केन्द्रों के समन्वयक के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएगें।

4 ग्राम शिक्षा समितियों, MTA, महिला प्रेरक समूहों का गठन तथा प्रशिक्षण :–

बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, उनके नामांकन, विद्यालय में ठहराव तथा सम्प्राप्ति स्तर में वृद्वि हेतु VEC, MTA, WMG को संवेदनशील बनाना, विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर की गति विधियों नें उनका योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस हेतु सूची जि0 प्रा0 शि0 कार्य के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण मंजूषा प्रयोग की जाएगी।

5 सेवारत अध्यापक BRC, NPRC समन्वयकों का प्रशिक्षण –

समस्त अध्यापकों एवं BRC, NPRC कोर्डिनेटर को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा कक्ष प्रक्रियायों को गति हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(द) ग्रीष्म कालीन शिविर :–

1. ड्राप आउठ बालिकाओं को पुनः विद्यालय की मुख्य धारा में लाने हेतु 30 दिन का ग्रीष्म कालीन शिविर चलाया जाएगा और उनको कक्षा विशेष में पुनः नामांकित कराया जाएगा। यह शिविर प्राथमिक एवं उ0 प्रा0 वि0 दोनों के लिए चलाये जाएगें क्षेत्र का चयन बालिकाओं की ड्राप आउट दर को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

2. विशेष कोंचिग हेतु –· जिन लड़कियों का उपलब्धीकरण कम है उनको इन शिविरें के माध्यम से अतिरिक्त ोंचिंग की व्यवस्था की जाएगी।

3. बालिकाएं विशेषकर कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के पढ़ने वाली बालिकाओं की पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से विद्यालय में नियमित उपस्थिति न रह पाने के कारण बहुधा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाती है तथा अन्त में अधिकांशतः धीरे–2 हीन भावना एवं कक्षा में अन्य साथियों के साथ न चल पाने के कारण विद्यालय छोड़ देती है। ऐसी बालिकाओं को चिन्हित कर ब्लाक स्तर पर 40–50 बालिकाओं के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिन का शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे शिविरें में पूर्व में चिन्हित कठिन स्थलों यथा विज्ञान, गणित अंग्रेजी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिक्षक के साथ–साथ चलेगा, मार्शल आर्ट, लाईफ स्कील तथा कन्यूनिटी के अनुभव का भी लाभ मिल सकेगा।

अन्य चयनित क्लस्टर में आवश्यकतानुसार बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स आवासीय शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। ऐसा शिविर सादाबाद विकास खण्ड में प्रस्तावित है। इस शिविर में 3 माह का ब्रिजकोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को कंडेस कोर्स के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा कक्षा 8 की परीक्षा दिलाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा।

(य) उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम–

कार्यानुभव करके सीखने की शिक्षा विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा इसके अन्तर्गत जनपद के परम्परागत ट्रेड तथा गैर परम्परागत ट्रेड पर आधुनिक तकनीकि प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। खिलौने बनाना, कला चित्रण, बुनाई सिलाई, कढाई, की शिक्षा के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर मिट्टी के खिलौने बनाना कागज के समान बनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तकला, धातुकला आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जाएगा इस वर्ष विकास खण्ड स्तर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्यानुभव योजना प्राप्त है। अगले वर्षो में इसका विस्तार किया जायेगा। आदर्श रूप में दो विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को सामान्य ज्ञान देने हेतु प्रस्ताव है।

(र) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण –

आकर्षक एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का छात्र नामांकन एवं उनके विद्यालय में ठहराव हेतु विशेष महत्व है। समस्त बालिकाओं और अनुसूचित जाति के समस्त बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक देने का प्रस्ताव है।

(ल) शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृणीकरण –

बालिकाओं में शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए ECCE एक प्रमुख कार्यक्रम है। जनपद हाथरस में 3–6 मय वर्ग के बच्चों के लिए बालवाड़ी आंगन वाडी, आई सी डी एस, ई सी सी ई केन्द्र चल रहे है। इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक मानसिक इन्द्रियों के विकास के लिए शिक्षा दी जाती है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है।

1. छोटे भाईबहिनों की देखरेख में लगी सभी बालिकाओं एवं बालकों को मुक्त कर विद्यालयों तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।

2. छोटे बच्चे प्रथम बार स्कूल जाने में हिचकते हैं क्योंकि वे स्कूल के वातावरण से परिचित नही होते और उनके मन में एक अज्ञान भय सा बना रहता है अतः छोटे बच्चों को स्कूल के वातावरण से परिचित कराने तथा उनके अज्ञान भय को दूर करकें स्कूल जाने योग्य तैयार करना ECCE केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे।

(व) ICDS के साथ समन्वय –

समन्वयक बालिका शिक्षा, कार्यक्रम अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी NGO आदि को मिलाकर DRG और BRG का गठन किया जाएगा और निम्न क्षेत्रों में ICDS के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

(अ) आंगनवाडी केन्द्रों का समय स्कूल समय के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

(ब) आंगनवाडी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण या विद्यालय के निकट में ही कराया जाएगा।

(स) आंगनवाडी केन्द्रों को TLM सामग्रियां उपलवध करायी जायेंगी। –

(द) ECCE ICDS केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमता का विकास किया जाएगा।

(श) नवीन केन्द्रों की स्थापना :–

जिन विकास खण्डों में आंगनवाडी केन्द्र संचालित नहीं है उन व्लाकों में NGO'S के सहयोग से ECCE केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

3–5 वय वर्ग वच्चों को स्कूल जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और वहाँ के पाठ्यक्रम में कुछ अध्याय पूर्व विद्यालय शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए जोड़े जाएगें प्रयोग के तौर पर।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनवाड़ी केन्द्र नही संचालित है, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, के अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हे संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगें। इन प्रस्ताव को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किये जाएगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

8.6 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

आर्थिक विपन्नता के कारण वहुत से वच्चे पाठ्य पुस्तकें क्रय नही कर पाते हैं इस कारण से उनकी शिक्षा की गुणवत्ता तथा ठहराव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु अनुसूचित जाति के वच्चों तथा समस्त वर्ग की वालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस जनपद में विकास खण्ड वार तथा कक्षावार अनुसूचित जाति के वालक तथा समस्त वर्ग की वालिकाओं की संख्या सारणी 8.4 के अनुसार है।

सारणी 8.4

निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु ब्लाक वार एवं कक्षा वार बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की सूची

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय

	कक्षा 1					कक्षा 2					कक्षा 3					कक्षा 4					कक्षा 5					कुल योग				
	अनु. जाति			बालिका अन्यवर्ग	कुल योग	अनु. जाति			बालिका अन्यवर्ग	कुल योग	अनु. जाति			बालिका अन्यवर्ग	कुल योग	अनु. जाति			बालिका अन्यवर्ग	कुल योग	अनु. जाति			बालिका अन्यवर्ग	कुल योग	अनु. जाति			बालिका अन्यवर्ग	कुल योग
	बालक	बालिका	योग			बालक	बालिका	योग			बालक	बालिका	योग			बालक	बालिका	योग			बालक	बालिका	योग			बालक	बालिका	योग		
हाथरस	1225	1083	2308	871	3179	1072	979	2051	763	2814	921	834	1755	703	2458	763	754	1517	538	2055	544	462	1006	397	1403	4525	4112	8637	3272	11909
मुरसान	897	805	1702	1016	2718	1097	920	2017	1055	3072	924	849	1773	1090	2863	835	719	1554	970	2524	568	520	1088	724	1812	4321	3813	8134	4855	12989
सासनी	1228	1143	2371	1280	3651	1346	1151	2497	1127	3624	1105	949	2054	1002	3056	956	824	1780	841	2621	717	536	1253	746	1999	5352	4607	9959	4992	14951
सिकन्दराराऊ	527	528	1055	1095	2150	832	702	1534	1501	3035	621	539	1160	1129	2289	599	452	1051	846	1897	466	436	902	581	1483	3046	2657	5702	5152	10854
हसायन	815	462	1277	1390	2667	787	716	1503	1338	2841	995	813	1808	1269	3077	941	834	1775	1305	3080	776	667	1443	1043	2486	4314	3492	7806	6335	14141
सहपऊ	889	802	1691	1104	2795	775	609	1384	978	2362	615	518	1133	700	1833	536	299	835	585	1420	290	150	440	410	850	3105	2378	5483	3777	9260
सादाबाद	1024	896	1920	1710	3630	966	815	1781	1784	3565	899	818	1717	1632	3349	751	671	1422	1410	2832	599	419	1018	1100	2118	4239	3619	7858	7636	15494
योग	6605	5719	12324	8456	20780	6875	5892	12767	8546	21313	6080	5320	11400	7525	18925	5381	4553	9934	6495	16429	3960	3190	7150	5001	12151	29522	25212	54734	36126	90860
नगर क्षेत्र सि० रा०	137	137	274	155	429	95	95	190	134	324	65	65	130	85	215	35	35	70	57	127	15	23	38	33	71	347	355	702	464	1166
नगर क्षेत्र हाथरस	250	274	524	298	822	198	171	369	193	562	148	138	286	157	443	228	107	335	105	440	88	79	167	87	254	812	769	1581	840	2421
योग नगर क्षेत्र	387	411	798	453	1251	293	266	559	327	886	213	203	416	242	658	263	142	405	162	567	103	102	205	120	325	1159	1124	2283	1304	3587
महायोग जनपद	6992	6130	13122	8909	22031	7168	6158	13326	8873	22199	6293	5523	11816	7767	19583	5644	4695	10339	6657	16996	4063	3292	7355	5121	12476	30681	26336	57017	37430	94447

स्रोत : विद्यालयों से प्राप्त आंकड़े

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

	कक्षा 6					कक्षा 7					कक्षा 8					कुल योग				
	अनु. जाति			बालिका	कुल	अनु. जाति			बालिका	कुल	अनु. जाति			बालिका	कुल	अनु. जाति			बालिका	कुल
	बालक	बालिका	योग	अन्य वर्ग	योग	बालक	बालिका	योग	अन्य वर्ग	योग	बालक	बालिका	योग	अन्य वर्ग	योग	बालक	बालिका	योग	अन्य वर्ग	योग
हाथरस	249	145	394	190	584	187	112	299	79	378	146	97	243	86	329	582	354	936	355	1291
मुरसान	273	72	345	289	634	233	141	374	254	628	198	121	319	240	559	704	334	1038	783	1821
सासनी	358	240	598	354	952	273	134	407	826	1233	261	115	376	250	626	892	489	1381	1430	2811
सिकन्दराराऊ	235	70	305	204	509	217	65	282	195	477	158	47	205	145	350	610	182	792	544	1336
हरायन	005	756	1301	825	2188	559	437	996	778	1774	243	114	357	214	571	1407	1307	2714	1817	4531
सहपऊ	134	57	191	130	321	131	47	178	103	281	118	21	139	63	202	383	125	508	296	804
सादाबाद	96	235	331	596	927	73	205	278	534	812	64	198	262	652	914	233	638	871	1782	2653
योग	1950	1575	3525	2588	6113	1673	1141	2814	2769	5583	1188	713	1901	1850	3551	4811	3429	8240	7007	15247
नगर क्षेत्र सि0 राऊ	4	6	10	12	22	3	3	6	8	14	2	4	6	–	6	9	13	22	20	42
नगर क्षेत्र हाथरस	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग नगर क्षेत्र	4	6	10	12	22	3	3	6	8	14	2	4	6	–	6	9	13	22	20	42
महायोग जनपद	1954	1581	3535	2600	6135	1676	1144	2820	2777	5597	1190	717	1907	1650	3557	4820	3442	8262	7027	15289

तालिका के अनुसार कक्षावार अनुसूचित जाति के छात्रों तथा समस्त वर्ग की छात्राओं की संख्या दर्शायी गयी है जिनको निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 50–50 सैट प्रति विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 25–25 सैट प्रति विद्यालय की दर से गरीब सामान्य वर्ग के बालकों के लिए उपलब्ध कराये जायेगें जिससे लगभग सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो सकें।

8.7 समेकित एवम् सम्मिलित शिक्षा

जनपद में बहुत से बच्चे विकलांग है जिससे उनको घर से विद्यालय तक आने में अथवा विद्यालय में शिक्षण कार्य करने में कठिनाई होती है उदाहरण के लिये जो बच्चे पैरों से विकलांग है उनको विद्यालय तक आने में कठिनाई होती है इसी प्रकार जो बच्चे कानों से नहीं सुन सकते उनको शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इन विभिन्न कारणों से या तो ऐसे बच्चे विद्यालय ही नहीं आते अथवा विद्यालय कभी–कभी आते हैं। जनपद हाथरस में ऐसे विकलांग बच्चों का अध्यापकों द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है जिसके आधार पर कुल 1343 बच्चे विकलांग की श्रेणी में आये हैं। इसके पश्चात इन बच्चों की विकलांगता के प्रकार तथा सीमा का अभिज्ञान एक एक्सपर्ट टीम द्वारा किया जाएगा और इसी के अनुसार उनकी शिक्षा के लिए नियोजन किया जाएगा।

भारत की लगभग 5–10 प्रतिशत किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है।

डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जाती है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

विकलांगता / अक्षमता के प्रकार :–

मुख्य रूप से विकलांगता पॉच प्रकार की होती है।

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकार विकलांगता
4. मानसिक मन्दता

5. अधिगम मन्दता

विकलांगता / अक्षमता के कारण :–

बच्चों में कुछ विकलांगतायें / अक्षमता जन्म से होती है, तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है, कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है, बच्चों की अधिगम अक्षमता के निम्न कारण हो सकते हैं।

1. बौद्धिक क्रिया कलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मंदगति
2. देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई
3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना, अंगो की विकृति, माँस पेशियों के तालमेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई।
4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें
5. दृष्टि तथा मांस पेशियों में तालमेल न होना।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते हैं जैसे –

* माता पिता के स्नेह में कमी
* बच्चों को हीनभावना से देखना
* सीखने के समान अवसर न मिलना
* शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना
* शिक्षक का बच्चों के कम लगाव होना
* सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना

अक्षमता के परिणाम –

1. बच्चों में –
   * आत्म निर्भरता में कमी
   * चलने में परेशानी, समाज में उपेक्षित
2. परिवार में –
   * अधिक ध्यान देने की आवश्यकता
   * आर्थिक बोझ अधिक

3. समाज में –

* अधिक ध्यान देने की आवश्यकता
* उत्पादन में कमी
* समाज में एकीकरण में कमी

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रांन्तियाँ है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिए होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

4. संवेदीकरण –

अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए निम्न संवेदीकरण आवश्यक है –

* समुदाय का संवेदीकरण
* परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन
* अध्यापकों का संवेदीकरण

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला विन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति तो सभी दिखा देते हैं, उन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि सहायता की आवश्यकता है उनकी क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता है।

5. उपकरण एवं उपस्कर –

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात कराने के लिए बच्चों का डाक्टरों की टीम, जिसमें एक आर्थोमेडिस्ट, एक इ0 एन0 टी0 डॉक्टर एवं आई स्पेशलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेन्ट कराया जाता है, फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जाती है इसके लिए निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता है।

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान 116 राजपुर रोड, देहरादून।
2. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बांद्रा, बम्बई।
3. एलिम्को जी0 टी0 रोड, कानपुर 208016
4. अनर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर कर्कर डूगा, विकास कार्य दिल्ली
5. भारतसरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेंट सेंटर।

6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, सिकन्दरावाद।

7. नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड, एजू0 डिपार्टमेन्ट सेंटर।

8. मंगलम ए–445 इंदिरा नगर, लखनऊ

9. यू0 पी0 विकलांग केन्द्र 13 लूकर गंज, इलाहाबाद।

6. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण –

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का विन्दु विशेष रुप से लिया गया है जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधि पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 05 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति वि0 खण्ड 4–4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाता है और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन, रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली अमर ज्योति रिहैविलिटेशन एण्ड रिसर्च सेण्टर कर्करडूमा विकास मार्ग दिल्ली एवं उ0 प्र0 विकलांग केन्द्र सरल रिसर्च सोसाइटी 13 लूकरगंज इलाहाबाद में आयोजित किया जा सकता है।

7. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास –

शिक्षकों द्वारा हस्तपुस्तिका का विकास किया गया तथा पाँच विकलांगताओं दृष्टि, द्रव्य, अधिगम अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये गये है। जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए "आप क्या कर सकते है" फोल्डर विकसित किया गया है। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक में "दोस्ती" नामक पाठ में सम्मिलित किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता के विषय को शामिल किया गया है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विकसित माडयूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है।

(अ) विकलांगता वाले बच्चों का कार्यालय आंकलन।

(ब) विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।

(स) इन बच्चों के सभी समूहों के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना।

(ड) कक्षा कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।

(ई) इन बच्चों इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।

(एफ) विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के सन्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरुकता उत्पन्न करना।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समोंकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय़ स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

8.8 छात्र स्वास्थ्य परीक्षण

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये अच्छे स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। अतः सभी प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का

स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड विद्यालयों में उपलब्ध है। इन्हीं कार्डो का उपयोग किया जायेगा। इस कार्य के लिये डाक्टरों के भ्रमण हेतु वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।

8.9 सामुदायिक गतिशीलता

किसी कार्यक्रम से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता की और भी अधिक आवश्यकता है। जब तक अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे सिर्फ अपने तात्कालिक लाभों को महत्व देते रहेगें तब तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य, सभी बच्चों का विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करने की समस्या, अध्यापकों की अनुपस्थिति की समस्या, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा न उपलब्ध करा पाने की समस्या का सामाधन मिलना कठिन है सामुदायिक सहभागिता के इसी महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने PTA/MTA संगठनों एवं ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से ग्रम स्तर पर समुदाय की सहभागिता बढाने का प्रयास किया है। परन्तु ग्राम वासियों में इन PTA/MTA संगठनों एवं शिक्षा समितियों की बैठकें नियमित नही होती है अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने तथा विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

सामुदायिक सहभागिता से लाभ –

अभिभावकों में यदि शिक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न हो जाए तथा वे विद्यालय को सरकारी विद्यालय न समझकर अपना विद्यालय समझने लगे तो अनेक जटिल समस्याओं का निराकरण सुगमता से किया जा सकता है। जैसे –

1. *विद्यालय की भवन की सुरक्षा एवं अवैध कब्जों की समस्या* – ग्रामीण स्तर पर विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं अवैध कब्जे की जटिल समस्या को अक्सर यह शिकायते प्राप्त होती रहती है कि गाँव के लोग विद्यालय की खिडकी दरवाजे उखाड ले गये या ताला तोड़कर सामाना चोरी चला गया अथवा विद्यालय प्रांगण में लोगों ने अवैद्य कब्जा कर लिया है इन शिकायतों से स्वतः स्पष्ट होता है कि ग्रामीण लोगों का विद्यालय से कोई लगाव नहीं है इस समस्या का एक मात्र निराकरण विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित कर ग्रामीण लोगों को इस बात का एहसास कराना होगा कि यह विद्यालय उनका है और उनके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए अनिवार्य है।

2. *शिक्षकों की अनुपस्थिति की समस्या* – शिक्षकों की विद्यालयों से अनुपस्थिति एक दूसरी समस्या है निरीक्षक वर्ग प्रतिदिन किसी विद्यालय का निरीक्षण नहीं कर सकता है अतः अध्यापकों कीउपस्थिति सुनिश्चित करने में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रभावी भूमिका निभा सकते है ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य विद्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या संबधित अधिकारियों को भेजे तो इस समस्या का समाधान अच्छे ढंग से किया जा सकता है।

3. *नामांकन की समस्या* – अशिक्षित एवं गरीब अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में न भेजकर मजदूरी अथवा गृहकार्य में लगा देते है बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता और भी अधिक है स्कूल जाने योग्य बालिकाओं को अभिभावक अपने छोटे भाई बहिनों को खिलाने में लगा देते है क्योंकि इससे उन्हें तात्कालिक लाभ होता है और शिक्षा के दूरगामी लाभ की उन्हेंसमझ नही होती है उन्हें इस बात का एहसास कराना होगा कि यह दुष्चक्र है। गरीबी के कारण आप अपने बच्चों को पढ़ाएगें नहीं तो आपके बच्चे भी गरीबर रहेंगे आप इस दुष्चक्र को तोडना होगा। जब हम अभिभावकों को इस बात का ज्ञान करा देंगे। तो वे स्वतः अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने लगेंगें और नामांकन की समस्या हल हो जाएगी।

4. *बच्चों के विद्यालय में ठहराव की समस्या* – वीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की समस्या का समाधान भी सामुदायिक सहभागिता से ही हो सकता है यदि अभिभावक अपने बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखें तथा प्रतिदिन विद्यालय भेजना सुनिश्चित करें तो ड्राप आउठ की समस्या हल हो सकती है क्योंकि यदि कोई बच्चा 4–5 दिन विद्यालय नहीं जाता तो अगले दिन वह विद्यालय जाने में हिचकता है और धीरे–धीरे वह विद्यालय ही छोड़ देता है।

5. *शिक्षा की गुणवत्ता की समस्या* – अक्सर यह शिकायते प्राप्त होती है कि शिक्षक विद्यालयों में जाकर भी शिक्षण कार्य नहीं करते है इस समस्या का भी समाधान अभिभावकों की सजगता पर निर्भर है यदि अभिभावक प्रतिदिन विद्यालय में क्या पढाया गाय है इस बात की जानकारी बच्चे से प्राप्त करे और अध्यापक से सभी सम्पर्क स्थापित करें तो निश्चित रूप से शिक्षकों को पढाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

सामुदायिक सहभागिता के लिए कार्यक्रम –

सामुदायिक सहभागिता सुनिशिचित करने के लिए निम्न कार्यक्रम संचालित किए जाएगें।

1. PTA/MTA प्रशिक्षण – अभिभावकों को अपने वच्चे के प्रति उनके दायित्वों का वोध कराने तथा इन संगठनों को सक्रिय करने केलिए PTA/MTA का प्रशिक्षण प्रत्येक विद्यालय स्तर पर कराया जाएगा और प्रत्येक माह मासिक परीक्षाओं का आयोजन कर परीक्षा परिणामो से अभिभावकों को अवगत कराने के लिए प्रत्येक माह PTA/MTA की बैठकें आयोजित की जाएगी।

2. कला जत्था – कला जत्था के माध्यम से जून माह में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। कला जत्था के माध्यम से रोचक ढग से अभिभावको को शिक्षा के महत्व से परिचित कराकर उन्हे वच्चो को विद्यालयों मे भेजने के लिए प्रेरित किया जायेगा जिससे जुलाई माह मे शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य पाया जा सके। अतः जनपद की 64 न्याय पंचायतों के लिए 10 हजार रूपये प्रति न्याय पचायत की दर से व्यवस्था की जाएगी।

3. जनजागरण सामग्री का विकास – जनजागरण अभियान चलाने हेतु होर्डिंग, पोस्टर, वैनर, स्टीकर, स्लाइड्स आदि की आवश्यकता होगी अतः जनजागरण सामग्री के विकास के लिए प्रति ब्लाक 5 हजार रूपये की दर से 7 ब्लाकों के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी।

4. न्याय पंचायत स्तर पर बाल मेला – बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा रहने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से बाल मेला का आयोजन किया जाएगा।इस मेले में वीडियो कैसेट, पोस्टर, वैनर, कहानी चित्रण के माध्यम से शिक्षा केमहत्व का संदेश दिया जायेगा। अतः प्रति न्याय पंचायत 5 हजार रूपये की व्यवस्था की जाएगी।

5. आडियो टेप – अच्छे कार्यक्रमों के आडियो टेप तैयार कर उन्हें अन्य जगहों पर सुनाया जाएगा जिससे अन्य जगह के लोग भी उसका लाभ उठा सकें। अतः 10 हजार रूपये प्रति वर्ष की दर से व्यवस्था की जाएगी।

6. वीडियो टेप – श्रेष्ठ कार्यक्रमों के वीडियो टेप तैयार कराकर उन्हें अनय जगहों पर तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे दिखाया जाएगा अतः 10 हजार रूपये प्रति वर्ष की दर से व्यवस्था की जाएगी।

7. श्रेष्ठ ग्राम शिक्षा समिति पुरस्कारक – प्रत्येक विकास खण्ड की शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली एक ग्राम शिक्षा समिति को पुरस्कृत किया जाएगा। श्रेष्ठता का निर्धारण एक समिति गठित कर आकलन के कुछ बिन्दु निर्धारित कर कराया जाएगा। इससे ग्राम शिक्षा समितियों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना जागृत होगी। अतः 7 विकास खण्डों की सात ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 7 हजार रूपये प्रति ग्राम शिक्षा समिति की दर से धन की व्यवस्था की जाएगी।

8. श्रेष्ठ शिक्षा मित्र पुरस्कार – शिक्षा मित्रों को अच्छा शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ शिक्षा मित्र को पुरस्कृत करने की योजना बनायी गयी है श्रेष्ठता का निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित चेक बिन्दुओं के आधार पर कराया जायेगा, चूंकि वर्ष 2001–2002 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हो रही है अतः पूरे वर्ष का शिक्षण कार्य देखने के उपरान्त वर्ष 2002–2003 में पुरस्कृत किया जाएगा। इस कारण से वर्ष 2001–2002 में इस मद में व्यवस्था न कर शेष अगले वर्षो में व्यवस्था की गयी है।

8.10 नवाचार कार्यक्रम

1. जनपद के प्रत्येक विद्यालय में मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाएगा। मासिक परीक्षा ब्लैक बोर्ड में प्रश्न लिख दिए जायेंगे और बच्चे अपनी लेखन पुस्तिका में उत्तर लिखेंगें। मासिक परीक्षाओं हेतु कोई धन की आवश्यकता नहीं होगी। अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करवाने एवं उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने हेतु प्रति छात्र लगभग प्राथमिक स्तर पर 5 रु0 तथा पूर्व

माध्यमिक स्तर पर 8 रु0 की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था विद्यालय अपने स्तर पर छात्रों से शुल्क लेकर स्वयं करेंगे। छात्रों/अभिभावकों को मासिक परीक्षाओं के परिणामों से अवगत कराने हेतु प्रगति पत्र (Project Card) तैयार करवाये जायेंगे। Project Card छपवाने हेतु प्रति छात्र प्रतिवर्ष 1.00 रु0 की आवश्यकता होगी।

2. ग्राम सभा कूपा ब्लाक सादावाद के लगभग 150 ग्राम वासियों जिसमें BSA, ABSA ने स्वयं प्रतिभाग किया था Four Groupdiscussion से यह बात निकल कर आयी थी कि अध्यापकों की अनुपस्थिति की समस्या तथा विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारु ढंग से संचालन विद्यालय सम्पत्ति सुरक्षा ग्राम शिक्षा समितियों के प्रतिशत वाले पद से जनपद के 1/2 गावों में N.G.O. के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा आधे गाँवों में के N.R.P.C. समन्वयक के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा और दोनों का तुलनात्मक अध्यन किसी अन्य संस्था से प्रत्येक न्याय पंचायत के कम से कम एक गाँव का सर्व कराकर किया जायेगा अतः ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के तुलनात्मक अध्ययन हेतु 1000 रुपये प्रतिगाँव की दर से धन की आवश्यकता होगी।

3. प्रत्येक विद्यालय की वाहरी दीवार में Display Board तैयार कराये जायेंगे जिसमें प्रतिदिन अध्यापक एवं छात्र उपस्थिति का विवरण लिख जायेगा। Display Board बनवाने हेतु प्रति विद्यालय लगभग 500रु0 की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था विद्यालय अपने स्त्रोंतों से करेंगे इसके लिए किसी अन्य धन की व्यवस्था नहीं की जा रही है।

4. प्रत्येक न्याय पंचायत के निकट के विद्यालय में बच्चों के मनोरंजन हेतु झूले, फिसलनपट्टी आदि की व्यवस्था हेतु रु0 15000/– प्रति विद्यालय की दर से 64 विद्यालयों में वर्ष 2001 व 2002 में स्थापित किये जायेंगे उनके परिणामों को देखकर अगले वर्षो के लिए प्रस्तावित किए जायेंगें।

समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षाके प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूण्र योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा औ संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में... गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय – 9
गुणवत्ता के लिए नियोजन

हाथरस जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 07 बी.आर.सी. तथा 64 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रिओं तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित हुई। परियोजना के अन्तर्गत डायट में मानव संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई। डायट में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों, दृश्य–श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

जनपद में शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु प्रत्येक स्तर पर अध्यापकों के सहयोग व समर्थन की व्यवस्था है। विद्यालय, एन0 पी0 आर0 सी, बी0 आर0 सी0 स्तर पर फीड बैंक के अनुसार आवश्यकतानुसार शैक्षिक सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। इस हेतु डायट स्तर पर विद्यालयों, एन0 पी0 आर0 सी, बी0 आर0 सी0 को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 6 फेरों में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में दोनों जनपद (हाथरस तथा अलीगढ़) विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एस0 डी0 आई0, समन्वयक, सह समन्वयक व समस्त संकुल प्रभारियों के अतिरिक्त डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं एवं प्रवक्ताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में विभिन्न प्रशिक्षणों के मूलभूत पैरामीटर्स व इंडीकेटर्स, सहायक सामग्री निर्माण, शैक्षिक भ्रमण के चैक बिन्दु, विद्यालय भ्रमण प्रपत्र पर चर्चा व आदर्श पाठ की तैयारी तथा उसका प्रस्तुतीकरण भी किया गया। ब्लाक संसाधन केन्द्रों द्वारा संस्थान को भेजे जाने वाले प्रत्यावेदन प्रारूप पर भी चर्चा हुई। बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी के लिये तीन माह की कार्ययोजना तथा विद्यालय की मासिक बैठक हेतु 3 एजेण्डा भी कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा तैयार कर प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता अनुसार फीड बैक के आधार पर शैक्षिक सपोर्ट के द्वारा सेवारत अध्यापकों के स्तर, शैली व क्लासरूम वातावरण में सकारात्मक सुधार की व्यवस्था की गई हैं।

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता हैं। इसी प्रकार बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों

का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी. आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रतिमाह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। डायट, बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में लागू की जा रही अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली के आधार पर जनपद के विद्यालयों की स्थिति परिशिष्ट 1 पर दी गई है।

विद्यालयों/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के उच्च स्तर की प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रेडिंग की व्यवस्था समस्त प्राथमिक विद्यालयों में की गई है। इस हेतु प्रत्येक ब्लाक प्रभारी डायट प्रवक्ता/वरिष्ठ. प्रवक्ता तथा बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों द्वारा विद्यालय की शैक्षिक स्थिति, बाह्य वातावरण व कक्षीय वातावरण के आधार पर ग्रेडिंग की व्यापक व्यवस्था की गई।

इस हेतु डायट स्तर पर निरीक्षण फारमेट तैयार किया गया है। निरन्तर शैक्षिक सपोर्ट व अनुश्रवण का परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष के अन्तराल में मथुरा से सम्मिलित सादाबाद एवं सहपऊ विकास खण्डों में एक भी विद्यालय डी श्रेणी का नहीं है।

डायट स्तर से सहयोग व समर्थन हेतु प्रत्येक माह ब्लाक समन्वयक व प्रभारियों की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसमें शैक्षिक बिन्दुओं, समस्याओं तथा भावी कार्ययोजनाओं पर चर्चा कर अग्रिम रणनीति व आवश्यकतानुसार शैक्षिक सपोर्ट प्रदान किया जाता है। उपरोक्त बैठक में प्राप्त समस्याओं/सूचनाओं तथा प्राप्त निरीक्षण आख्याओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह एकेडिमिक कोर टीम की बैठक की जाती है जिसमें निरिक्षण आख्याओं के आधार पर उन स्थलों का चयन किया जाता है जहां–जहां शैक्षिक सपोर्ट की आवश्यकता हैं। कोर टीम की बैठक के निष्कर्षों के आधार पर एकेडिमिक कोर ग्रुप की बैठक में समस्या निदान एवं क्रियान्वयन हेतु रणनीति तैयार कर उसे कार्य रूप दिया जाता है।

एकेडिमिक कोर टीम में डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता है। जबकि एकेडिमिक रिसोर्स ग्रुप में जनपद के बी0एस0ए0 सहित बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, शिक्षाविद व एन0जी0ओ0 सदस्य भी हैं।

यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्कताओं–कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।
3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

डायट द्वारा अध्यापकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर किये अध्ययन के आधार पर यह

तथ्य संज्ञान में आया कि दक्षताओं सम्बन्धी प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को देने से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के गैप को दूर करने में सहायता मिलेगी।[1]

सहायक शिक्षण सामग्री के संदर्भ में प्रायः अध्यापकों में रूचि व शिक्षण हेतु अपेक्षित मनोवृत्ति की कमी देखी गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोग किये जाने वाले शिक्षण अधिगम सामग्री में प्राथमिक स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री के स्तर में कोई विशेष अन्तर अन्तर नहीं देखा जा रहा है।[2]

इसी प्रकार अध्यापको से यह भी पता चलता है कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि न होने से अध्यापकों की क्षमता प्रभावित हुई है। पर्यावरणीय अध्ययन के साथ शिक्षण अधिगम सामग्री बनाये जाने की आवश्यकता अध्यापकों द्वारा महसूस की जा रही है।[3]

2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में यू.पी.–बी.ई.पी. में 65 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

---

1. डायट हाथरस के अध्ययन – "असेस्मेंट आफ टीचर्स ट्रेनिंग नीड्स – 2000"
2. शैक्षिक भ्रमण के निष्कर्ष।
3. अध्यापकों के साथ फोकस ग्रुप डिसकशन फरवरी 3–6–2001

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता हैं तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद हाथरस में डायट के नेतृत्व में 430 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में

सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

किन्तु जहां तक बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न है, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लगे रहते हैं। प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों को कोई सहयोग भी नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में दिये गये सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण :

प्राथमिक स्तर – बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणों की नियमित व्यवस्था की गई थी। प्राथमिक स्तर पर सभी प्रधान/सहा0 अध्यापकों को पांच चक्रो का प्रशिक्षण निम्नवत् दिया गया।

प्रथम चक्र – प्रथम चक्र का प्रशिक्षण न्यूनतम अधिगम स्तर, दक्षताओं, प्रेरणा, बहुकक्षा शिक्षण तथा समूह शिक्षण का कक्षाओं में क्रियान्वन कैसे किया जाये, से सम्बन्धित था। इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को कक्षा 5 तक के सभी विषयों (भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन) के न्यूनतम अधिगम स्तर तथा इनसे सम्बन्धित दक्षताओं का ज्ञान कराना था। इसके साथ–साथ इसका उद्देश्य यह भी था कि प्रत्येक विद्यालय

में 6–11 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन, धारण व सम्प्राप्ति को ध्यान में रखा जाये। शिक्षक सीखने – सिखाने के प्रति अपना रूझांन केन्द्रित करे तथा शिक्षण बाल केन्द्रित हों।

शिक्षण विधा प्रशिक्षण के अनुरूप हो तथा शिक्षण स्व निर्नित सहायक सामग्री की सहायता से किया जाय। सहायक सामग्री विषयानुकूल, सस्ती, सुलभ व आकर्षक हो।

एकल विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु बहुकक्षा शिक्षण तथा समूह शिक्षण पर भी बल दिया गया। शिक्षण अधिगम की जांच हेतु सतत व व्यापक मूल्यांकन की भी चर्चा की गयी।

समुदाय की सहभागिता बनाये रखने हेतु राष्ट्रीय पर्वों पर शिक्षक–अभिभावक गोष्ठियों का आयोजन, ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों का आयोजन भी समय–समय पर किया जाने पर बल दिया गया।

भाषा व गणित शिक्षण की दक्षता एवं गतिविधियों पर आधारित करने, विज्ञान व गणित शिक्षण के समय किटों का प्रदर्शन कमजोर छात्रों के लिये उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था आदि बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रधानाध्यापक में योग्यता, व्यवहार कुशलता, दूरदर्शता एवं नेतृत्व गुणों का भी विकास करने के लिये प्रशिक्षण दिया गया।

द्वितीय चक्र :

द्वितीय चक्र के प्रशिक्षण में भाषा दक्षता प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य छात्रों में उनके स्तरानुकूल भाषा ज्ञान को विकसित करना, उनके सस्वर पाठ, सस्वर वाचन एवं स्वपपठन की क्षमताओं को विकसित करना था।

अध्यापकों को यह भी बताया गया कि भाषा शिक्षण के समय क्षेत्रीय भाषा, बच्चों की भाषा के प्रयोग पर बल दें तथा दिया गया ज्ञान सरल सुलभ व बोधगम्य हो। अध्यापक भाषा की पुस्तकों में निहित कठिनाइयों को विभिन्न विधाओं जैसे शब्दार्थ, विलोम शब्द, तत्सम शब्द एवं समानार्थी शब्दों एवं वाक्य प्रयोगों को माध्यम बना कर स्पष्ट करें। भाषा की दक्षताओं के स्तरानुकूल पाठों के रूचिकर एवं बोधगम्य बनाने के साथ–साथ प्रकरण से सम्बन्धित स्वनिर्मित सामग्री के निर्माण में छात्रों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करें। छात्र प्रगति पंजिका विषयवार तैयार की जाय जिससे छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति विषयवार मापन की जा सके।

तृतीय चक्र :

तृतीय चक्र के प्रशिक्षण में अनुपूरक अध्ययन सामग्री (भाषा) का प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों में भाषा के प्रति रूचि एवं उनकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु उनको कहानी, कविता, नाटक, वाद–विवाद, तथा अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं को हाव भाव के साथ कराने पर बल देने, मुखौटे व अन्य शिक्षण सामग्री को शिक्षण के समय प्रयोग करने, सहायक शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित रूप से रखने के लिये प्रत्येक कक्षा में शैक्षिक कोर्नर का निर्माण करने, कविता, कहानी, लेखन प्रतियोगिता का विद्यालय, संकुल व बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजन कराने आदि बिंदुओं पर चर्चा की गयी तथा कक्षा न बच्चों के लिए अनुपूरक पुस्तक इन्द्रधनुष के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया।

चतुर्थ चक्र :

चतुर्थ चक्र प्रशिक्षण में गणित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में गणित जैसे नीरस विषय को रोचकता के साथ-साथ सरल और बोधगम्य बनाना था। शिक्षण में स्वनिर्मित सरल, सुबोध, सुगम्य एवं परिवेश से प्राप्त सहायक सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। सामग्री निर्माण में बच्चों की सहभागिता को प्रमुखता दी गई। प्रशिक्षण के दौरान इन बिंदुओं पर बल दिया गया: गणित शिक्षण के समय गणित किट का प्रयोग प्रत्येक अधिगम क्षेत्र को विकसित करने हेतु प्रकरण व स्तर के अनुसार किया जाये। सहायता व सहारा के माध्यम से छात्र/अध्यापक सक्रिय रहे। अधिगम को स्थायी व प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक अभ्यास कार्य पर बल दें। गणित शिक्षण में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग पर बल दिया जाये। गणित के प्रत्येक तथ्य तथा सिद्धान्त को उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुये उसकी उपयोगिता को सिद्ध किया जाये। करके सीखना और सीख कर करना विधा का गणित शिक्षा में प्रयोग किया जाये। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण बच्चों द्वारा कागज या गत्ते से कराया जाये जिससे वह उन आकृतियों के उपयोग व महत्व से परिचित हो सके। गणित में विभिन्न स्तरों पर पिछड़े बालकों हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाये। छात्रों को समूह में कार्य कराने की विधि पर बल दिया जाये जिससे उनके अन्दर नैतिक गुणों व मूल्यों का विकास सम्भव हो सकें।

पंचम चक्र :

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।
4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल
9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करना।

4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद हाथरस में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एम.बी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
    - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
    - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
    - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
    - शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
    - एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
    - ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।

- डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित को गईं इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों नें दिखाई पड़ा। कक्षा में इन प्रशिक्षणों के माध्यम से गुणवत्ता व स्तर में स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति एवं उनके ठहराव में भी निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। कक्षा में बच्चों की सोच व कल्पना में भी इसकी परिणिति परिलक्षित होती है। गणित जैसे नीरस विषय के प्रति भी बच्चों की रोचकता व जिज्ञासा में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। गणित के मुख्य तथ्य व सिद्धान्तों का वे कहीं किन्ही स्थलों पर दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते है। वहीं भाषा में भी सभी स्तरों पर बच्चों के शब्द भण्डार में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। बच्चे गणितीय उपकरणों (किट) आदि में भी रूचि रखते है। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में गतिविधि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग 50 प्रतिशत अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता है इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लेकिन जनपद में लगभग 9.2 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है जहाँ 1 या 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण में कठिनाई देखी गयी है।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने

से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

पूर्व प्रशिक्षणों में कमी यह रही है कि ज्ञान को अलग–अलग करके देखा गया है उदाहरण के लिये पहले भाषा का प्रशिक्षण दिया गया, अगले वर्ष अनुपूरक सहायक सामग्री का उपयोग करने का जबकि यदि दोनो को साथ–साथ दिया जाता तो यह अधिक उपयोगी होता। इसी प्रकार विभिन्न अकादमिक योग्यता वाले अध्यापकों को एक ही मानसिक स्तर पर रखते हुये प्रशिक्षण दे दिया गया जबकि उनकी योग्यता अनुभव एवं आवश्यकता अनुसार लक्ष्य परक व आवश्यकता परक प्रशिक्षण होना चाहियें।

कक्षा में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु पाठ योजना तैयार करने में 20–30 वर्ष पुराने अध्यापक स्वयं को असमर्थ पा रहे है। रूचि का अभाव है। प्रायः यह भी देखा गया है कि अध्यापक कक्षा 1 को पढाने में ज्यादा उत्सुक है बजाय अन्य कक्षाओं के जहाँ गम्भीर विषय जैसे पर्यावरणीय अध्ययन, विज्ञान आदि है। इन विषयों को पढ़ाने में अध्यापक झिझक महसूस करते है।[4]

शिक्षकों का पदस्थापन :

जनपद हाथरस में कुछ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या तथा संचालित कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं है। निम्नलिखित सारणी जनपद में शिक्षिकों परिषदीय संख्या के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दर्शाती है –

सारणी – 1

	एकल शिक्षक विद्यालयों की सख्या	दो शिक्षक विद्यालयों की सख्या	तीन शिक्षक विद्यालयों की सख्या	चार शिक्षक विद्यालयों की सख्या
प्राथमिक विद्यालय	33	259	226	123
उच्च प्राथमिक	02	12	40	53

स्रोत : बी० एस० ए०, हाथरस।

उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तरीय लगभग 4.5 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय तथा लगभ 35.9 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है, जहां दो ही शिक्षक कार्यरत् है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। जहां प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से समय प्रबन्धन, कक्षा प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन तथा शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत

4: स्रोत : ए स्टडी आफ क्लास रूम प्रोसेस इन इ०एफ०ए० सपोर्टेड एण्ड नान ई०एफ०ए० डिस्ट्रिक्ट आफ यू०पी० (१९९८–९९) सीनेट, इलाहाबाद।

अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

वी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में नई चेतना जागृत हुई है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0.94 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992–93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया, जिसकी उपलब्धि निम्न तालिकाओं में दर्शायी गयी है।

सारणी 2

	बी0ए0एस0		एफ0ए0एस	
	भाषा	गणित	भाषा	गणित
कक्षा 2	61.00	81.48 प्रति.	43.64	81.17 प्रति.
कक्षा 5	47.07	80.90 प्रति.	39.09	79.98 प्रति

स्रोत : बी०ए०एस० तथा एफ० ए० एस० रिपोर्ट, २०००

कक्षा 2 में बैसलाइन एसेसमेण्ट स्टडी में जहाँ भाषा का औसत सम्प्राप्ति 61.00 था वहीं एफ0ए0एस0 में यही औसत सम्प्राप्ति बढ़ कर 81.48 हो गयी तथा गणित में भी बी0ए0एस0 में औसतन सम्प्राप्ति 43.64 से बढ़कर एफ0ए0एस0 मेंऔसतन सम्प्राप्ति 81.17 हो गयी। इसी प्रकार बालक और बालिकाओं के औसत सम्प्राप्ति बी0ए0एस0 में बालकों का 45.57 से बढ़कर एफ0ए0एस0 में 82.40 हो गया तथा बालिकाओं को शैक्षिक सम्प्राप्ति बी0ए0एस0 में 41.92 से एफ0ए0एस0 में बढ़कर 79.80 हो गया। इसी प्रकार एस0सी0 तथा ग्रामीण व नगरक्षेत्र की सम्प्राप्ति में प्रगति हुई है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है –

सारिणी – 3

कक्षा 2 बी0ए0एस0 व एफ0ए0एस0 रिपोर्ट के आधार पर भाषा एवं गणित विषय का तुलनात्मक अध्ययन –

क0सं0	कक्षा 2		बी0ए0एस0	एफ0ए0एस0
1.	भाषा औसत सम्प्राप्ति		61.00	81.48
	गणित औसत सम्प्राप्ति		43.64	81.17
2.	बालक सम्प्राप्ति		45.57	82.40
	बालिका सम्प्राप्ति		41.92	79.80
3.	ग्रामीण सम्प्राप्ति	भाषा	60.20	81.90
		गणित	41.71	81.20
	शहरी सम्प्राप्ति	भाषा	61.80	79.40
		गणित	57.85	80.80
4.	अनु0जाति एस0सी0/एस0टी0		57.00	80.30
5.	अन्य		63.25	82.30

स्रोत : बी०ए०एस० तथा एफ० ए० एस० रिपोर्ट, २०००

कक्षा पॉच में भी भाषा में बी0ए0एस0 के अनुसार औसत सम्प्राप्ति 47.07 से बढ़कर एफ0ए0एस0 में औसत सम्प्राप्ति 80.90 हो गयी । गणित विषय में बी0ए0एस0 में औसत सम्प्राप्ति 39.09 से बढ.कर एफ0ए0एस0 में औसत सम्प्राप्ति 79.98 तक वृद्धि परिलक्षित हुई। इसी प्रकार बालक/बालिका, एस0सी0/एस0टी0/अन्य तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है ।

सारिणी – 4

कक्षा 5 भाषा एवं गणित विषय का तुलनात्मक अध्ययन –

क0सं0	कक्षा 5		बी0ए0एस0	एफ0ए0एस0
1.	भाषा औसत सम्प्राप्ति		45.07	80.90
	गणित औसत सम्प्राप्ति		39.09	79.98
2.	बालक सम्प्राप्ति	भाषा	45.21	44.79
		गणित	40.5	80.3
	बालिका सम्प्राप्ति	भाषा	41.48	39.95
		गणित	38.7	79.6
3.	ग्रामीण सम्प्राप्ति	भाषा	46.26	82.7
		गणित	40.25	79.7
	शहरी सम्प्राप्ति भाषा		44.95	80.7
		गणित	36.52	83.6
4.	अनु0जाति	भाषा	42.79	81.2
	एस0सी0/एस0टी0	गणित	32.22	79.9
5.	अन्य	भाषा	46.59	82.1
		गणित	33.55	79.3

स्रोत : बी०ए०एस० तथा एफ० ए० एस० रिपोर्ट

उपरोक्त विवरण से प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले बालकों में अच्छा विकास प्रदर्शित होता है परन्तु अब भी अनेक स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। क्लासरूम औब्जर्वेशन स्टडी से स्प ट है कि अध्यापकों की दक्षता में अभी भी सुधार अपेक्षित है।

सामान्य निष्कर्ष :

बी.ए.एस. और एम.ए.एस. की अपेक्षा एफ.ए.एस. में कक्षा दो एवं कक्षा पाँच के भाषा एवं गणित की उपलब्धि में अशातीत वृद्धि है। इन दोनों कक्षाओं के बच्चों के भाषा और गणित के मध्यमानों का प्रतिशत भी लगभग सामान्य है। इससे पता चलता है कि भाषा और गणित जो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य विषय हैं, दोनों में बच्चों ने समान रूप से योग्यता प्राप्त की है।

विद्यालयों में जाति और लिंग के अधार पर अन्तर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रवेश बढ़ा है। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या में पर्याप्त बृद्धि हुई है। वर्गवार और लिंगवार भाषा और गणित की उपलब्धि भी लगभग समान है।

'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी' के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष

प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण के द्वारा गुणवत्ता, टी. एल. एम. के उपयोग में सुधार देखा जा रहा है जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है –

सारणी – 5

	अध्यापक संदर्शिका	भाब्दकोश	किताब	नक्सा	ग्लोब	चार्ट	फ्लैश कार्ड	विज्ञान किट	गणित किट	श्रृव्य दृश्य	अन्य	अनुपूरक स0सामग्री
BAS	27.3	34.9	45.9	41.3	50.0	40.1	35.3	40.1	50.6	-	23.8	-
FAS	82.2	71.11	94.1	83.7	83.7	100.0	93.4	100.0	100.0	80.0	27.4	45.00

स्रोत :- ए स्टडी आफ क्लास रूम प्रोसेस इन इ0एफ0ए0 सपोर्टेड एण्ड नान-ई0एफ0ए0 डिस्ट्रिक्ट आफ यू0पी0 (1998-99) - सीमेट, इलाहाबाद''

एफ0ए0एस0 तथा क्लासरूम आब्जर्वेशन इन स्कूल्स आफ यू0पी0 बी0ई0पी0 डिस्ट्रिक्ट्स

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

जनपद की शहरी मलिन बस्तियों में बच्चे है और बालश्रमिक भी हैं। बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजों से जकड़ा रहता है। जिनके माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते है। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते हैं। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए कूड़े कचरे से पालिथिन की थैली आदि सामग्रियों को बटोर कर विक्रय कार्य में लगे रहते है तथा बैकरी उद्योग मे कार्य कर रहे हैं।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते है और इनके पास समय कम

होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से **शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं** ज्ञात हुई–

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु के ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

यद्यपि बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में पूर्व की अपेक्षा सुधार हुआ है परन्तु **अभी भी इसमें सुधार की व्यापक आवश्यकता है।** एफ.ए.एस. की रिपोर्ट के आधार पर **डाइट द्वारा न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले तथा पिछड़े विकास खंडों** का चयन किया गया। इस विकास खंडों में भी 5–5 ऐसे विद्यालयों का चयन किया गया, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक सम्प्राप्ति वाले बच्चे देखे गए थे। उन प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों के गणित एवं भाषा ज्ञान का मूल्यांकन टैस्ट पेपर के आधार पर किया गया। टैस्ट **पेपर के मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकला कि वहां के अध्यापकों का विषयवस्तु का ज्ञान 30 –50 प्रतिशत के मध्य है। साथ ही इनमें 50 प्रतिशत अध्यापकों में आत्मविश्वास की भी कमी देखी गई** इसके विपरीत उन विद्यालयों में जहां **बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति अच्छी देखी गई। वहां के अध्यापकों को उन्हीं टैस्ट पेपर के आधार पर मूल्यांकन करने पर उनका विषय वस्तु** का ज्ञान 75–87.5 **प्रतिशत** तक पाया गया तथा यह भी देखा गया कि वी.ई.सी. का इन अध्यापकों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है।[5] इससे यह स्पष्ट होता है कि बालकों की शैक्षिक सम्प्राप्ति अध्यापक के विषय ज्ञान पर निर्भर है। इसी प्रकार डायट द्वारा एफ.ए.एस. सर्वे के दौरान पाए **गए एक ही विकास खंड के सबसे अच्छे एवं सबसे खराब विद्यालय की केस स्टडी**[6] डाइट के चार **प्रवक्ताओं द्वारा** की गई, जिसमें बी.ई.सी. के सदस्य, समुदाय, अभिभावक, अध्यापक के साथ अलग–अलग **साक्षात्कार**, एफ.जी.डी. तथा टैस्ट पेपर के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि अभी भी हमें अपने अध्यापकों **के विषय** ज्ञान, भाषा शैली, समुदाय के प्रति इनकी अवधारणा में सुधार करना है।

५– डायट हाथरस द्वारा किया गया अध्ययन – "शैक्षिक दृष्टि से कमजोर बच्चों की न्यूनतम शैक्षिक सम्प्राप्ति में अध्यापकों की भूमिका।"
६– ए केस स्टडी आफ प्राइमरी स्कूल बिदिरिका (गुड स्कूल) एण्ड प्राइमरी स्कूल जवार (बैड स्कूल) – २००१

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद हाथरस में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और सनूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय **वीजनिंग कार्यशालाओं** का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग

आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस हेतु रू0 35 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानित है। तथा रू0 35 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानितः है। तथा रू0 37 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानित है। तथा इस हेतु रू0 37 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण

प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में वी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 20 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर

गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 20 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों की विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों

के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुगानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी. ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

जेण्डर सेंसिटाइजेशन –

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु वी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

नेतृत्व प्रशिक्षण

सभी उ0 प्र0 वि0 के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एवं विद्यालय–प्रबंधन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा इसके लिए प्रशिक्षण माडयूल का विकास सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा किया जावेगा।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 112 शिक्षामित्रों तथा 108 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।
2. वैकल्पिक शिक्षा – जनपद में प्रस्तावित 29 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आध

ारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 270 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक संचारित शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी.

समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस. डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई. जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों

के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। डी.एम. के आदेश पर 10 दिन का शीतावकाश के लिए बन्द हुआ, तथा निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 179 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

सारणी – 6

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	08 छमाही सालाना परीक्षा	12
अन्य कार्य	15	05
नष्ट हो जाने वाले दिन	10 डी.एम. के विशेष आदेश पर	10
समुदाय से सम्पर्क	08	08
शिक्षण दिवस	179	185

स्रोत – डायट, हाथरस

सारणी – 7

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार –

	प्राथमिक स्तर वादन / समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन / समय
भाषा–1 हिन्दी	9 वादन 6 घण्ट	6 वादन / 4 घण्टे 30 मिनट
भाषा–2 अंग्रेजी	5 वादन / 3 घण्टे 20 मि.	6 वादन / 4 घं. 30 मि.
भाषा–3 संस्कृत	5 वादन / 3 घण्टे 20 मि.	4 वादन / 3 घं.
विज्ञान	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन / 4 घं. 30 मि
गणित	9 वादन / 6 घण्टे	6 वादन / 4 घं. 30 मि.
सामाजिक विषय	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन / 4 घं. 30 मि
समाजोपयोगी कार्य	3 वादन / 2 घण्टे	6 वादन / 4 घं. 30 मि
कला शिक्षण	5 वादन / 3 धण्टे 20 मि.	8 वादन / 6 घं.

स्रोत – डायट, हाथरस

उपर्युक्त सारिणी–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 179 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 185 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण सयम के अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.10 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 50 लाख रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2.50 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, वाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा।

इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 60 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 55 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7— गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका —

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना —

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना —

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए. बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। चयनित संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने,

गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञा शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण

हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटेरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी. बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं एवं गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आंकड़ों की समीक्षा।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।

5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रस्तावित विषय :

1- Main Causes of Drop Outs
2. जहाँ बच्चों का शैक्षिक स्तर कम है उसके क्या कारण है।
3. विधालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन ।
4. बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन
5. Causes of negative verbal behaviour of teachers & students (warning & accepting, amplifying, eliciting & responding behaviour, correcting behaviour, cooling behaviour) & its remedy
6. मध्यान्तर के पश्चात विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण
7. श्यामपट कार्य न कराने का छात्रों की सम्प्राप्ति पर प्रभाव
8. अध्यापकों के पठन् पाठन के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ।
9. शिक्षा में अभ्यास का महत्व।
10. अध्यापकों द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग न करने के कारणों का पता लगाना ।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में

अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किये जायेगे तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		05 दिन
4	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन

6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।

- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम –

बालिकाओं केलिये कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारण की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 3 विकासखण्डों में तीन तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होगें। विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री– उपकरण क्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों / कौशलों के लिए सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरांत अंतिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्नियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्नियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं अन्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय स्तरीय आयोजित किये जायेंगे, जिनमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे, इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

डायट में स्टाफ की स्थिति

	पदों का विवरण	1.1.2001 के आधार पर	
	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1. प्राचार्य	01	01	00
2. उप प्राचार्य	01	00	01
3. व0प्रवक्ता	06	04	02
4. प्रवक्ता	17	11	06
5. कार्यानुभव शिक्षक	01	01	00
6. सांख्यिकीकार	01	01	00
7. प्रति नियुक्ति पर तैनात प्रा0विद्यालय के अध्या– पकों की संख्या	–	01	–
8. अन्य (तकनीक सहायक)	01	01	–

डायट द्वारा अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु वाहन के लिए **डाईवर का पद स्वीकृत करना** आवश्यक है।

इसी प्रकार डायट मे एक **कम्प्यूटर आपरेटर का पद स्वीकृत किया जाए ।**

प्लानिंग प्रोसेस–

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत दस वर्षीय पर्सपेक्टिव प्लान बनाने से पूर्व डायट द्वारा विभिन्न स्तरों पर एफ0जी0डी0, अध्ययन, शैक्षिक सपोर्ट, अनुभव, एन0पी0आर0सी0 व विद्यालयों से प्राप्त फीड बैक आदि तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए शोधों/रिसर्च के आधार पर कराई गई स्टडी का आधार लिया गया है।

इस हेतु सर्वप्रथम डायट के समक्ष संकाय सदस्यों के साथ दिनांक 3–2–2001 को एफ0जी0डी0 की गई, जिसमें डायट स्टाफ बी0आर0सी0सी0, एन0पी0आर0सी0सी0 तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अभिभावकों की क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास हेतु भिन्न–भिन्न प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। उक्त एफ0जी0डी0 के निष्कर्षों–मुद्दे प्लान के एनग्जर में संलग्न हैं।

इसके उपरांत एन0सी0ई0आर0टी0 की स्टेटस स्टडी 1998 सेम एस्पेक्ट्स आफ अपर प्राइमरी स्टेज आफ एजुकेशन इन इंडिया, ए स्टेटस स्टडी 1998 बाई अर्जुन देव एंड अदर के आधार पर परिषदीय उच्च प्राथमिक अध्यापकों तथा माध्यमिक विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तरको पढ़ाने वाले अध्यापकों के साथ दिनांक 4–2–2001 को एफ0जी0डी0 के आधार पर प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 के बच्चों की संप्राप्ति स्तर, बच्चों को पढ़ाए गए कठिन कंसेप्ट तथा उच्च प्राथमिकी स्तरीय अध्यापकों की प्रशिक्षण अपेक्षाएं/आवश्यकताएं आदि मुद्दों पर डिसकशन तथा तदानुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित किए गए।

इसी प्रकार दिनांक 5–2–2001 को समस्त डायट स्टाफ बी0एस0ए0, ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, समस्त बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के साथ एफ0जी0डी0 उनकी प्रशिक्षण नीड्स के साथ–साथ नामांकन, ठहराव व संप्राप्ति जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। इस एफ0जी0डी0 में यह निष्कर्ष भी निकलकर आया कि अध्यापकों को डिमोंस्ट्रेशन स्किल की आवश्यकता है। वह स्वयं को डिमोंस्ट्रेशन करने में शैक्षिक भ्रमण करने के दौरान अक्षम मान रहे हैं।

दिनांक 6–2–2001 को अन्यों के साथ–साथ बी0आर0सी0 समन्वय लोधा समस्त एन0पी0आर0सी0, समन्वयक, उस ब्लाक के समस्त अध्यापकों के अतिरिक्त जन–समुदाय, अभिभावकों से भी एफ0जी0डी0 की, जिसमें अभिभावकों द्वारा विद्यालयों में फर्नीचर की मांग की तथा शिक्षा के स्तर से सुधार को स्वीकार किया। ग्राम एलमपुर जो एस0सी0 बाहुल्य ग्राम है, में अभिभावकों द्वारा लड़कियों के लिए कार्यानुभव पर बल दिया। तभी वे विद्यालय भेजी जाएंगी। अनियमित उपस्थिति के विषय में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए बच्चों को नियमित भेजने का संकल्प लिया। साथ ही बहुत ही गरीब बच्चों के लिए यूनिफार्म की भी मांग की गई।

दिनाक 7–2–2001 को अलीगढ के अनौपचारिक शिक्षाधिकारी, परियोजनाधिकारी, एस0डी0आई0एस0 / ए0बी0एस0ए0एस, बी0एस0ए0 ने बैठक में प्रतिभाग कर नामांकन, ठहराव व संप्राप्ति, प्रशिक्षण आदि मुद्दों के साथ वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत खोले जाने वाले केंद्रों पर भी विचार हुआ।

दिनांक 17–2–2001 को अलीगढ़ में डी0एम0, सी0डी0ओ0 व जन–प्रतिनिधियों में (24–2–2001 को हाथरस में) जन–प्रतिनिधियों, डी0एम0 / सी0डी0ओ0 / अधिकारियों के साथ सर्व शिक्षा अभियान पर विचार–विमर्श हुआ। इसके अतिरिक्त एफ0ए0एस0 व बेस लाइन स्टडी के आधार पर व पृथक् से भी डायट द्वारा कुछ स्टडीज डायट स्टाफ व बी0टी0सी0 छात्रों द्वारा की गई।

1. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रोल आफ विलेज एजुकेशन कमेटी।
2. शैक्षिक दृष्टि कमजोर बच्चों की न्यूनतम शैक्षिक संप्राप्ति में अध्यापकों की भूमिका।
3. विकास खंड में एफ0ए0एस0 के दौरान पाए गए एक बढ़िया संप्राप्ति व खराब संप्राप्ति के प्राथमिक विद्यालयों की केस स्टडी कराई गई– ए कंप्रेटिव स्टडी आफ पीएस विदिरिका एंड पी0एस0 ज्दार आफ इगलास ब्लाक (2001)
4. असेसमेंट आफ टीचर्स ट्रेनिंग नीड–2000

इसके अतिरिक्त सी0ई0आर0टी0 की स्टेट स्टडी सम एस्पेक्ट्स आफ अपर प्राइमरी स्टेज आफ एजुकेशन इन इंडिया बाई अर्जुनदेव एंड अदर, के निष्कर्षों के आधार पर विद्यालय में वास्तविक रूप से पढ़ाए जाने वाला, विद्यालय के वास्तव में खुलने के दिन का अध्ययन बी0टी0सी0 छात्रों के माध्यम से कराया तथा ज्ञात हुआ कि अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में टाइम टेबिल नहीं है तथा अध्यापन समय भी 220 दिनों से कम पाया गया।

इसके अतिरिक्त एस0आई0ई0एम0ए0टी0 द्वारा कृत स्टडी– "ए स्टडी आफ क्लासरूम प्रोसेस इन ई0एफ0ए0 सपोर्टेड एंड नन–ई0एफ0ए0 डिस्ट्रिक आफ यू0पी0 (1988–99)", एफ0ए0एस0 रिपोर्ट बेसलाइन स्टडी रिपोर्ट, ई0एम0आई0एस0 डाटा, स्टडी "अचीवमेंट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एज ए फंक्शन आफ लर्निंग आर्गनाईजेशन आफ कंपीटेंसीज इन मैथनेटिक्स एट प्राइमरी स्टेजेस" बाई मिस्टर के0के0 वशिष्ट, कृष्णकुमार मदन, गाइडलाइंस, फोर इंप्लीमेंटेशन आफ दि सोप्ट स्कीम ड्यूरिंग 9 प्लान पीरियड (अप टू मार्च, 2002)

इन स्टडीज रिसर्चेज एंड डायट फाइंडिंग्स के अतिरिक्त अधिकारियों, अभिभावकों, जन–प्रतिनिधियों, ग्राम शिक्षा समितियों, जन–समुदाय, अध्यापकों (प्रा0 व उ0प्रा0 दोनों) के संकुल प्रभारियों बी0आर0सी0 समन्वयकों, डायट–स्टाफ के साथ एफ0जी0डी0 के साथ–साथ विभिन्न प्रशिक्षणों में प्राप्त फीड बैक, शैक्षिक सपोर्ट आख्या, निरीक्षण से प्राप्त फीड बेस, अध्यापकों के कमजोर स्थलों आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान किया गया है।

परिशिष्ट 1

अकादमिक पर्यवेक्षण और श्रेणीकरण

		जिनका निरीक्षण हुआ श्रेणी			
विकास खण्डवार	स्कूलों की संख्या	ए	बी	सी	डी
1. वि0ख0 हाथरस	118	47	70	01	00
2. वि0ख0 सासनी	101	58	41	02	00
3. वि0ख0 मुरसान	98	76	21	01	00
4. वि0ख0 हसायन	124	17	100	07	00
5. वि0ख0 सिकन्दराराउ	97	09	86	02	00

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	**50.00 लाख**

उपकरण / साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	**10.00 लाख**

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध / अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं / सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेन्सी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव / पी.ओ.एल.	0.50
	योग	**10.00 लाख**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

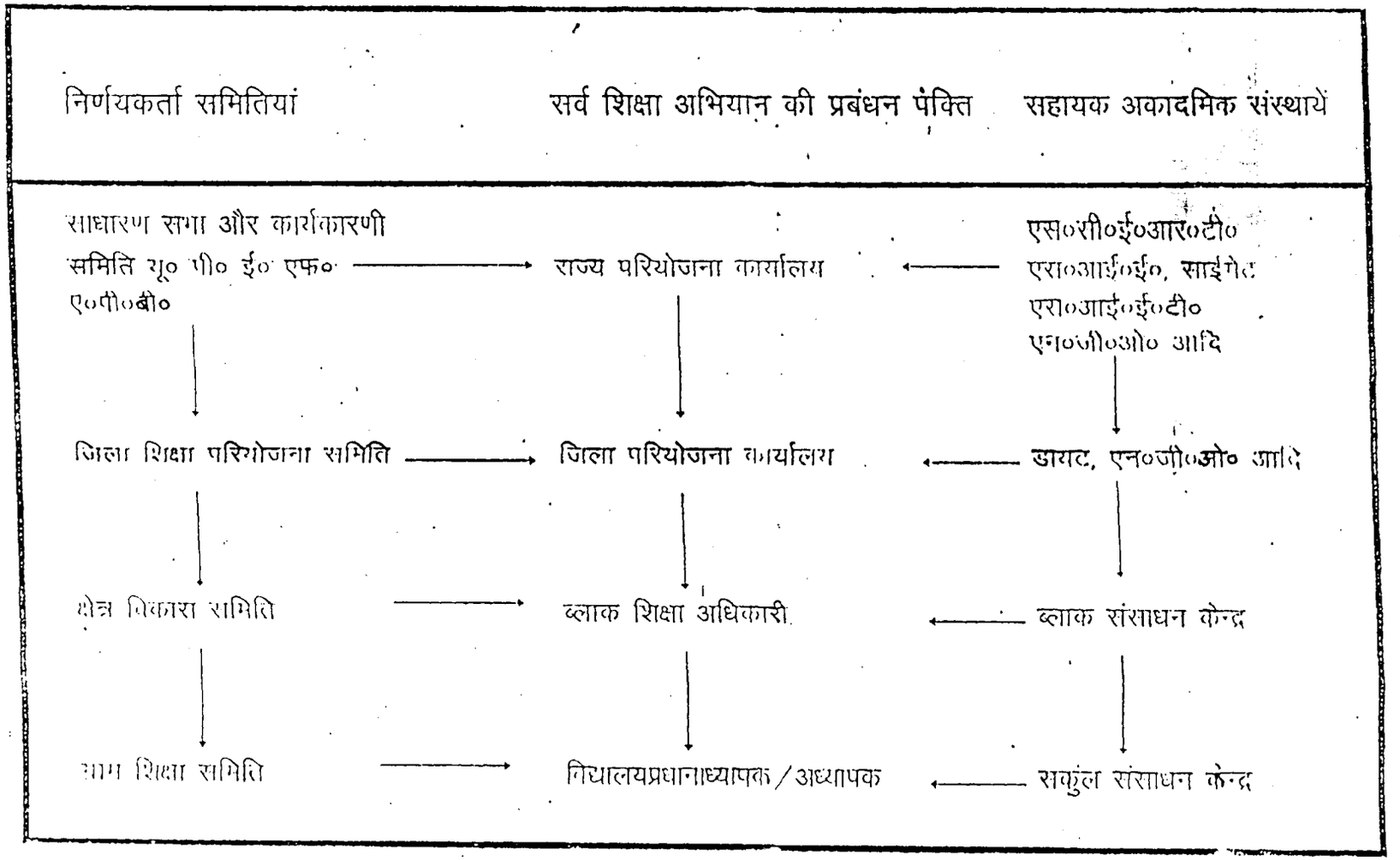

निर्णयकर्ता समितियां
सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति
सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी०
राज्य परियोजना कार्यालय
एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साईमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति
जिला परियोजना कार्यालय
डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र विकास समिति
ब्लाक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालयप्रधानाध्यापक / अध्यापक
संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर में प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इस समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान — सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक — सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगेः-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों सें अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नही।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियेाजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियेाजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियेाजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियेाजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डाइट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेंगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जावेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोंट तैयार

कर सकेा वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण** (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रवंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तंगत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रनों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक वार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शौक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थाापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

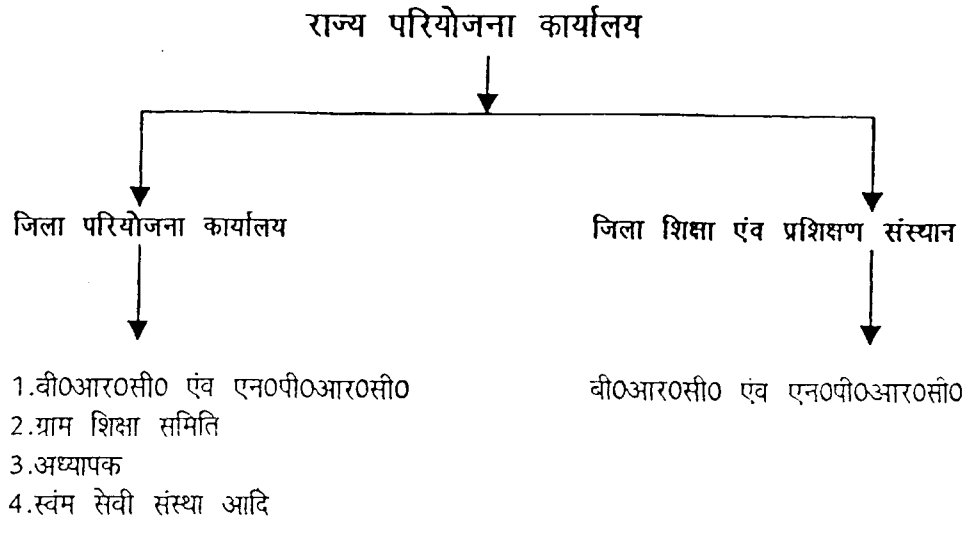

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डेपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियाान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयें, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

अनुलग्नक-II

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS													
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	20	5180	25	6475							45	11655
1	New Upper Primary Schools	451 (383+10+18+40)	20	9020	22	9922							42	18942
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) (1 Tr. + 1 SM)	11.25	20	2025	45	6075	45	6075	45	6075	45	6075	200	26325
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school	9	80	6480	168	18144	168	18144	168	18144	168	18144	752	79056
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	10	20	1800	42	5040	42	5040	42	5040	42	5040	188	21960
5	Furniture / Fixture & Equipment													
	PS	10	20	200	25	250							45	450
	UPS	50	20	1000	22	1100							42	2100
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Cohart Study	200	1	200					1	200			2	400
	Total		**202**	**26105**	**350**	**47206**	**256**	**29459**	**257**	**29659**	**256**	**29459**	**1321**	**161888**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10											0	0
	Total		**0**	**0**									0	0
	Interventions for out of school children													
A3	Alternative School (EGS + AIE)													
	EGS													

PROJECT COST

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)

HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	2100	1481	2370	1671	1470	1036	870	613	450	317	7260	5118
	Upper Primary	1.0 per child	870	870	870	870	570	570	240	240	150	150	2700	2700
	Total		**2970**	**2351**	**3240**	**2541**	**2040**	**1606**	**1110**	**853**	**600**	**467**	**9960**	**7818**
A4	Back to school campaign	1.5 per child	750	1125	600	900	500	750	250	375			2100	3150
	Innovation of EGS	50	1	50									1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	100	150	100	150							200	300
	Updation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa													
	SubTotal (A)		**4022**	**29731**	**4290**	**50797**	**2796**	**31815**	**1617**	**30887**	**856**	**29926**	**13581**	**173156**
(R)	**RETENTION**													
	Additional Classrooms	70	85	5950	300	21000	300	21000	300	21000			985	68950
	Additional Teachers Primary School (PS)	7	33	2079	450	37800	550	46200	650	54600	750	63000	2433	203679
	Additional Teachers Primary School (SM)	2.2	233	4613	450	11880	550	14520	650	17160	750	19800	2633	67973
R1	Toilets (PS + UPS)	10	100	1000	297	2970	200	2000	200	2000			797	7970
	Rec. of Old PS	191			17	3247							17	3247
	Rec. of Old UPS	383	7	2681	3	1149							10	3830
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18											0	0
	Repairs (PS+UPS)													
	Minor	20			70	1400	60	1200	20	400			150	3000
	Major	70			35	2450	25	1750	10	700			70	4900

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R3	Maintenance of School	5PA/per schools	882	4410	957	4785	1027	5135	1059	5295	1059	5295	4984	24920
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40											0	0
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school	731	1462	751	1502	776	1552	776	1552	776	1552	3810	7620
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school	151	302	171	342	193	386	193	386	193	386	901	1802
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district				5000		5000		5000		5000		20000
	Promoting Girls Education													
	Summer Camps	10 per camp	20	200	20	200	10	100	10	100			60	600
R6	MCDA including	75 per cluster	2	150	2	150	1	75					5	375
	Gender Sensitization													
R7	SUPW for girls	25 per school	150	3750	200	5000	150	3750	100	2500	100	2500	700	17500
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre	60	1080	60	1080	60	1080	60	1080			240	4320
1	Strengthening ICDs Centres													
2	Development & Distribution of ECCE Materials												0	0
4	Civil Works (one additional room)	70												
5	TLM	5 per centre	75	375									75	375
6	Additional Honorarium (InstructorWorker)	0.375 per centre	150	675	150	675	150	675	150	675	150	675	750	3375

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre	75	113	150	225	150	225	150	225	150	225	675	1013
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)													
	Induction	3	75	225									75	225
	Recurring	1.2	75	90	150	180	150	180	150	180	150	180	675	810
R10	Community Mobolisation													
1	MTA/PTA training	0.007			1027	7			1059	7			2086	14
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC			64	512			64	512			128	1024
3	Development of Awareness Material	5 per block	7	35	7	35			7	35			21	105
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	64	320	64	320	64	320	64	320	64	320	320	1600
5	Production of Audio Tapes	10 per district			1	10			1	10			2	20
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10			1	10			1	10	3	30
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district												
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	15	75
R12a	Award to Best BRC	10 per Bl.	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
R12b	Award to Best NPRC	7 per Bl.	7	49	7	49	7	49	7	49	7	49	35	245

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R12c	Award to Best Teacher	5 per Bl.	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	35	175
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child											0	0
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child												
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1000	1200	800	960	800	960	800	960	500	600	3900	4680
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)												
R16	Computer Education for UPS composite school	100	4	400	10	1000	10	1000	10	1000			34	3400
	School Health Check Up (PS)	0.500 per school	957	479	1027	514	1059	530	1059	530	1059	530	5161	2583
	School Health Check Up (UPS)												0	0
	Book Bank & School Library PS+UPS	5.0 per school											0	0
													0	0
	Sub Total (B)		**4957**	**31758**	**7253**	**104552**	**6306**	**107807**	**7562**	**116386**	**5722**	**100232**	**31800**	**460735**
	(Q) Quality Improvement													
Q1	Training Programmes													
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	57	120	197	414	206	433	125	263	40	84	625	1314
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	56	23	196	82	205	86	125	53	40	17	622	261

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	100	42	180	76							280	118
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	25	11	20	8	8	4					53	23
5	In service teachers training (10 Days)	0.07 per person per day	3340	2338	3550	2485	4150	2905	4250	2975	4350	3045	19640	13748
6	Inservice training of Shiksha Mitra (12 Days)	0.07 per person per day											0	0
7	Induction training of EGS/AIE worker (30 Days)	0.07 per person per day	59	124	9	19							68	143
8	Refresher course for Shiksha Mitra (15 Days)	0.07 per person per day			57	60	254	267	460	483	585	614	1356	1424
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day	60	63	99	104	108	113	37	39	20	21	324	340
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day											0	0
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day											0	0
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	70	25

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day	64	22	64	22	64	22	64	22	64	22	320	110
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	100	140
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	20	42	20	42	20	42	20	42	20	42	100	210
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day			71	107			71	107			142	214
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	70	25
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day											0	0
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	10	15	10	15							20	30
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	4650	419	4650	419					4650	419	13950	1257
21	Training of RCI (IED)	70.00 (45 days)	10	700									10	700
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	515	180	515	180	515	180					1545	540
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	35	125

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	40	100
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	2055	432									2055	432
	Total		**11084**	**4614**	**9701**	**4116**	**5593**	**4135**	**5215**	**4067**	**9832**	**4347**	**41425**	**21279**
Q2	Teaching Learning Material													
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	2485	1243	2879	1440	3290	1645	3540	1770	3620	1810	15814	7908
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	855	428	995	498	995	498	995	498	995	498	4835	2420
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0.150 per Child per year	135000	20250	162557	24383	165126	24768	167752	25162	170433	25565	800868	120128
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	0.150 per Child per year	60000	9000	62000	9300	64000	9600	66000	9900	68000	10200	320000	48000
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	781	391	831	416	855	428	855	428	855	428	4177	2091
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	176	176	196	196	204	204	204	204	204	204	984	984
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS					1	1000					1	1000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	5	800
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	5	800
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10							2	20

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each							1	400			1	400
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each							1	400			1	400
12	School Awards	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Total		**199301**	**31843**	**229462**	**36588**	**234474**	**38488**	**239351**	**39107**	**244110**	**39050**	**1146698**	**185076**
	Subtotal (C)		**210385**	**36457**	**239163**	**40704**	**240067**	**42623**	**244566**	**43174**	**253942**	**43397**	**1188123**	**206355**
C1	**DIET**													
	Civil Work	5000	1	5000									1	5000
1	Furniture	50	1	50							1		1	50
2	Equipments (including Audio Visual)	400	1	400									1	400
3	Computers Work Station	600	1	600									1	600
4	Vehicle (where applicable)	350											0	0
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
7	Maintenance of Vehicle	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	5	75
8	Research/Action Research	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Seminar & Workshop	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
9	Faculty Development	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
	Publications	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	5	2000
10	Exposure visits	50			1	50			1	50			2	100
11	Library	25			1	25			1	25			2	50
12	Salary of Computer Operator	7x12	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	5	420

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
13	Salary of Driver (where applicable)	4	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	5	240
14	Consumable/Computer Stationary	10		10		10		10		10		10	0	50
	Contingencies	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500
	Total		**14**	**7172**	**12**	**1197**	**10**	**1122**	**12**	**1197**	**10**	**1122**	**58**	**11810**
C2	Block Resource Centre													
1	Civil Construction	800											0	0
2	Salary Coordinator	10	2	180	2	240	2	240	2	240	2	240	10	1140
3	Asstt. Coordinator (2 No.)	9	9	729	9	972	9	972	9	972	9	972	45	4617
4	Chowkidar	4	2	72	2	96	2	96	2	96	2	96	10	456
5	Equipment/Furniture	100											0	0
6	Travelling Allowance	5	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	35	175
7	Maint of Equipment	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	35	35
8	Maint of building	6	7	42	7	42	7	42	7	42	7	42	35	210
9	Books	10			7	70			7	70			14	140
10	Monitoring & Supervision	0300 per school	957	287	1027	308	1059	318	1059	318	1059	318	5161	1549
11	Consumables	5	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	35	175
12	Contingency	12	7	84	7	84	7	84	7	84	7	84	35	420
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	84	25	84	25	84	25	84	25	84	25	420	125
	Total		**1089**	**1496**	**1166**	**1914**	**1191**	**1854**	**1198**	**1924**	**1191**	**1854**	**5835**	**9042**

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C3	School Complex (NPRC)												0	0
1	Construction	70											0	0
2	Salary Coordinator	5.5	15	990	15	990	15	990	15	990	15	990	75	4950
3	Equipment/Furniture	10											0	0
4	Books for Library/Book Bank	5			64	320			64	320			128	640
5	Contingency	2.5	64	160	64	160	64	160	64	160	64	160	320	800
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	768	154	768	154	768	154	768	154	768	154	3840	770
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	957	191	1027	205	1059	212	1059	212	1059	212	5161	1032
	Monitoring & Supervision (UPS)	0.200 per school											0	0
	Total		**1804**	**1495**	**1938**	**1829**	**1906**	**1516**	**1970**	**1836**	**1906**	**1516**	**9524**	**8192**
C4	District Project Office													
	Staffing Coordinators4													
	Consultants2													
	AAO													
	Driver1													
	(if vehicle is purchases)	88	12	1056	12	1056	12	1056	12	1056	12	1056	60	5280
	Furniture	50											0	0
	Equipment	50											0	0
	Books	10											0	0
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350											0	0
	Motorcycle	50											0	0

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
	Honorarium to AE/JE - For 3 Years	6 Block	84	504	84	504							168	1008
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	957	151	1027	162	1059	167	1059	167	1059	167	5161	814
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	957	287	1027	308	1059	318	1059	318	1059	318	5161	1549
	Total		**2017**	**2148**	**2157**	**2180**	**2137**	**1691**	**2137**	**1691**	**2137**	**1691**	**10585**	**9401**
C4 1	MIS													
1	MIS Call Furnisning	50											0	0
	Salary of MIS Officers	10			1	90	1	120	1	120	1	120	4	450
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p.m. ×12	1	63	1	84	1	84	1	84	1	84	5	399
3	MIS Equipments (where applicable)	460											0	0
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
HATHRAS

26.6.2002 (Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Total		**4**	**128**	**5**	**239**	**5**	**269**	**5**	**269**	**5**	**269**	**24**	**1174**
	Sub Total (D)		**4928**	**12439**	**5278**	**7359**	**5249**	**6452**	**5322**	**6917**	**5249**	**6452**	**26026**	**39619**
	Grand Total		**224292**	**110385**	**255984**	**203412**	**254418**	**188697**	**259067**	**197364**	**265769**	**180007**	**1259530**	**879865**

NIEPA DC
D11485